# शेयरधारकों का समझौता

**यह शेयरधारकों का समझौता** हैदराबाद में, 30 सितंबर, 2003 को इनके द्वारा और इनके बीच किया गया है:

A. **आंध्र प्रदेश के राज्यपाल**, परिवहन, सड़क एवं भवन (बंदरगाह) विभाग के माध्यम से आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिनका कार्यालय जे-ब्लॉक, आंध्र प्रदेश सचिवालय, हैदराबाद - 500 022, भारत में है, जिन्हें इस संबंध में विधिवत प्राधिकृत किया गया है (सी. नंबर 6786/P1/2002 दिनांक 39 सितंबर, 2003 के माध्यम से; इसके बाद इन्हें "**गोआप**" कहा जाएगा, जिसका अर्थ और अभिव्यक्ति संदर्भ या अर्थ के विरुद्ध न होने पर, उनके प्रतिनिधियों, उत्तरधिकारियों और अनुमत समनुदेशियों को शामिल माना जाएगा और उनका यही अर्थ होगा);

B. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत निगमित एक निगमित निकाय, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली - 110003, भारत में है (इसके बाद इन्हें "**एएआई**" कहा जाएगा, जिसका अर्थ और अभिव्यक्ति संदर्भ या अर्थ के विरुद्ध न होने पर, उनके प्रतिनिधियों, उत्तरधिकारियों और अनुमत समनुदेशियों को शामिल माना जाएगा और उनका यही अर्थ होगा);

C. **जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत हैदराबाद, भारत में निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 6-3-866/1/जी3, ग्रीन लैंड्स, बेगमपेट हैदराबाद, भारत में है और जिसका प्रधान कार्यालय 25/1, स्किप हाउस, म्यूजियम रोड, बैंगलोर 560 025, भारत में है (इसके बाद इन्हें "**जीएमआर**" कहा जाएगा, जिसका अर्थ और अभिव्यक्ति संदर्भ या अर्थ के विरुद्ध न होने पर, उनके प्रतिनिधियों, उत्तरधिकारियों और अनुमत समनुदेशियों को शामिल माना जाएगा और उनका यही अर्थ होगा);

D. **मलेशिया एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स बर्हद**, मलेशिया के कानूनों के तहत मलेशिया में निगमित एक कंपनी और जिसका प्रधान कार्यालय हेड ऑफिस एमएबी, सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ शाह एयरपोर्ट, 47200 सुबांग, सेलंगोर दारुल एहसान, मलेशिया में है (इसके बाद इन्हें...) "एमएएचबी" जिसका अर्थ और अभिव्यक्ति संदर्भ या अर्थ के विरुद्ध न होने पर, उनके प्रतिनिधियों, उत्तरधिकारियों और अनुमत समनुदेशियों को शामिल माना जाएगा और उनका यही अर्थ होगा); और

E. **हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**, भारत के कानूनों के तहत निगमित एक कंपनी और जिसका पंजीकृत कार्यालय जे-ब्लॉक, आंध्र प्रदेश सचिवालय, हैदराबाद - 500 022, भारत, हैदराबाद, भारत में है, जैसा कि अनुसूची 1 में निहित विवरण के अनुसार है (इसके बाद इन्हें "**एचआईएएल**" कहा जाएगा, जिसका अर्थ और अभिव्यक्ति संदर्भ या अर्थ के विरुद्ध न होने पर, उनके प्रतिनिधियों, उत्तरधिकारियों और अनुमत समनुदेशियों को शामिल माना जाएगा और उनका यही अर्थ होगा)।

## प्रस्तावना

**A.** भारत सरकार ने हवाई अड्डा बुनियादी ढाचे के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की अपनी नीति के हिस्से के रूप में, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद के पास शमशाबाद में, निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए अपनी स्वीकृति और समर्थन प्रदान किया है। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने गोआप को संबोधित अपने 29 मई 2000 के पत्र के माध्यम से पुष्टि की कि हैदराबाद के बेगमपेट में स्थित मौजूदा हवाई अड्डे को सभी नागरिक संचालनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। हवाई अड्डे के विकास के लिए गोआप और भारत सरकार ने एएआई के माध्यम से 23 नवंबर 2000 के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

**B.** दिसंबर 1999 में, आंध्र प्रदेश सरकार ने संयुक्त उद्यम के आधार पर निजी वित्तपोषण के माध्यम से हैदराबाद में हवाई अड्डा परियोजना के लिए बोलियां आमंत्रित कीं। एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलिंग प्रक्रिया के बाद, जीएमआर-एमएएचबी कंसोर्टियम को डिज़ाइन, वित्त, निर्माण, संचालन और रखरखाव के आधार पर, जैसा कि आगे परिभाषित किया गया है, हवाई अड्डे को डिज़ाइन, वित्त, निर्माण, संचालन और रखरखाव करने के लिए एक डेवलपर ("**डेवलपर**") के रूप में चुना गया है।

**C.** आंध्र प्रदेश सरकार ने परिवहन, सड़क और भवन (बंदरगाह) विभाग को हवाई अड्डे के विकास की दिशा में सभी गतिविधियों को करने के लिए नोडल एजेंसी होने के लिए अधिकृत किया है, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधित्व भारत सरकार ने इसी प्रकार एएआई को हवाई अड्डे के विकास में भाग लेने के लिए आवश्यक शक्तियों के साथ अधिकृत और निहित किया है।

D. यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अत्यधिक महत्व की है, और आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य के औद्योगिक विकास, पर्यटन, यात्री, कार्गो आवाजाही तथा सामान्य आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने और प्रदान करने की अपनी नीति के हिस्से के रूप में, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास और "परियोजना में सहायता के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान" के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जीएमआर-एमएएचबी कंसोर्टियम को परियोजना के डेवलपर के रूप में नियुक्त करते हुए 26 जुलाई 2003 की एक अधिसूचना जी.ओ. एमएस संख्या 130 जारी की है।

E. एचआईएएल, भारत सरकार के साथ एक रियायत समझौते में प्रवेश करेगा ("रियायत समझौता") जहां एचआईएएल को एक अनन्य आधार पर परियोजना को लागू करने और संचालित करने की रियायत दी जाएगी।

F. यह परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार के राज्य समर्थन (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है) के अंतर्गत आती है और भारत सरकार तथा आंध्र प्रदेश सरकार दोनों ने सहमति व्यक्त की है और स्वीकार किया है कि परियोजना के कार्यान्वयन और संचालन तथा इसकी सुविधाओं के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक और निरंतर समर्थन तथा कार्रवाइयों और कुछ अधिकारों एवं छूटों के अनुदान की आवश्यकता है जो एचआईएएल द्वारा संसाधनों (वित्तीय संसाधनों सहित) जुटाने और रियायत समझौते के तहत एचआईएएल के दायित्वों के प्रदर्शन के लिए पूर्वापेक्षाएँ हैं, और इसलिए, आंध्र प्रदेश सरकार एचआईएएल के साथ राज्य समर्थन समझौते पर हस्ताक्षर करके राज्य समर्थन प्रदान करने के लिए सहमत हुई है।

G. परियोजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ("एचआईएएल" कहा गया) को आंध्र प्रदेश राज्य में एक सीमित देयता कंपनी के रूप में निगमित किया गया है, जो हवाई अड्डे को डिज़ाइन, वित्त, निर्माण, संचालन और रखरखाव करेगी जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है (बिल्ड, ओन, एंड ऑपरेट आधार पर) ("परियोजना") और व्यवसाय को انجام देगी। जीएमआर, एमएएचबी, परिवहन, सड़क एवं भवन (बंदरगाह) विभाग के माध्यम से आंध्र प्रदेश सरकार, और एएआई इस समझौते के निष्पादन पर एचआईएएल के शेयरधारक बन जाएंगे। पक्षकार यह पहचानते हैं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित किया गया है ताकि हवाई अड्डे के कार्यान्वयन और संचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाया जा सके।

H. गोआप, एएआई, जीएमआर और एमएएचबी इसके द्वारा एचआईएएल के गठन, प्रबंधन और संचालन पर अपनी सहमति को रेखांकित करते हैं और इस समझौते के नियमों और शर्तों के अधीन, शेयरधारकों और संयुक्त उद्यम साझेदारों के रूप में अपने संबंधित अधिकारों, दायित्वों और संबंधों को निर्धारित करना चाहते हैं।

अतः अब इसलिए, पक्षकारों के पारस्परिक अनुबंधों के प्रतिफल में, जिसकी पर्याप्तता इसके द्वारा स्वीकार की जाती है और अन्य अच्छे मूल्यवान प्रतिफल के लिए, पक्षकार निम्नानुसार सहमत हैं:

# 1. परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1 परिभाषाएँ

इस समझौते में, प्रस्तावना सहित, निम्नलिखित शब्दों, अभिव्यक्तियों और संक्षिप्त रूपों के निम्नलिखित अर्थ होंगे, जब तक कि संदर्भ अन्यथा की मांग न करे:

- "**एएआई इक्विटी कैप**" का अर्थ एएआई का अधिकतम पूंजी योगदान है, जो (ए) 500,000,000 रुपये (पचास करोड़ रुपये) की राशि या (बी) पूरी तरह से रूपांतरित और पूरी तरह सेनियोजित शेयरों पर 13% शेयरधारिता प्रतिशत के अनुरूप राशि में से कम से अधिक नहीं होगा।
- "**अधिनियम**" का अर्थ (भारतीय) कंपनी अधिनियम 1956 है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित, पूरक या पुनरीक्षित किया जा सकता है।
- "**संबद्ध**" का अर्थ किसी भी व्यक्ति ("विषय व्यक्ति") के संबंध में, किसी अन्य व्यक्ति से है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, एक या अधिक मध्यस्थों के माध्यम से, विषय व्यक्ति द्वारा नियंत्रित है या उसके नियंत्रण में है या उसके साथ सामान्य नियंत्रण के अधीन है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करता है जब वह उक्त अन्य व्यक्ति की जारी और बकाया इक्विटी शेयर पूंजी के बहुमत का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी होता है या नियंत्रित करता है।
- "**समझौता**" का अर्थ संलग्न सभी अनुसूचियों और अनुबंधों सहित किसी भी लिखित संशोधनों के साथ यह शेयरधारकों का समझौता है।

- "**हवाई अड्डा**" का अर्थ हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, भारत के पास शमशाबाद में एचआईएएल द्वारा निर्मित और संचालित किया जाने वाला ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसमें इसके भवन, उपकरण, सुविधाएं और प्रणालियां शामिल हैं और इसमें बिना किसी सीमा के, परिस्थितियों के अनुसार, कोई भी विस्तार, संशोधन या प्रतिस्थापन शामिल है।
- "**वार्षिक बजट**" का अर्थ बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक व्यावसायिक योजना को पूरा करने की अनुमानित लागत है।
- "**वार्षिक व्यावसायिक योजना**" का अर्थ बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एचआईएएल की व्यावसायिक योजना है।
- "**बोर्ड**" या "**निदेशक मंडल**" का अर्थ समय-समय पर एचआईएएल का निदेशक मंडल होगा।
- "**व्यवसाय**" का अर्थ परियोजना का कार्यान्वयन, वैमानिकी और गैर-वैमानिकी और हवाई अड्डा-संबंधी व्यावसायिक गतिविधियों को चलाना और/या संबंधित आधार पर अन्य गतिविधियों/निवेशों में भाग लेना और/या उन्हेंundertake करना है।
- "**व्यापारिक दिन**" का अर्थ ऐसा दिन है जिस पर बैंक मुंबई या हैदराबाद, भारत में सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के लेन-देन के लिए खुले हैं, और शब्द "व्यापारिक दिन" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।
- "**व्यापार योजना**" का अर्थ प्रथम व्यापार योजना सहित, समय-समय पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित एचआईएएल की पाँच (5) वर्ष की व्यापार योजना है। व्यापार योजना की अवधि को बोर्ड द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।
- "**पूंजी प्रतिबद्धता**" का अर्थ परियोजना लागत, वित्तीय लागत और प्रत्येक निवेशक द्वारा अपनी संबंधित शेयरधारिता प्रतिशत के अनुपात में शेयरों में निवेश की जाने वाली राशि के आधार पर निर्धारित कुल राशि है और जीएमआर द्वारा अन्य निवेशक को शेयर के हस्तांतरण के मामले में, जीएमआर की पूंजी प्रतिबद्धता शेयरधारिता प्रतिशत के हस्तांतरण की सीमा तक ऐसे अन्य निवेशक की पूंजी प्रतिबद्धता बन जाएगी।
- "**पूंजी योगदान**" का अर्थ पूंजी योगदान योजना के अनुसार पूंजी प्रतिबद्धता के आधार पर प्रत्येक निवेशक द्वारा शेयरों की सदस्यता के लिए देय राशि है।
- "**पूंजी योगदान योजना**" का अर्थ उस कार्यक्रम से है, जिसके अनुसार निवेशक वित्तीय लागत से पहले बोर्ड द्वारा तय किए गए पूंजी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए शेयरों की सदस्यता लेंगे, और जैसा कि समय-समय पर वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बोर्ड द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
- "**नकद कॉल**" का अर्थ प्रासंगिक पूंजी योगदान योजना के तहत वैध पूंजी प्रतिबद्धता और/या इस समझौते के प्रावधानों के अनुपालन में एचआईएएल द्वारा शेयरधारकों से किए गए नकद भुगतान के किसी भी अनुरोध से है।
- "**अध्यक्ष**" का अर्थ खंड 5.2 के अनुसार चुने गए बोर्ड के अध्यक्ष से होगा।
- "**नागरिक उड्डयन गतिविधि**" का अर्थ सभी नागरिक उड्डयन गतिविधियों, अनुसूचित और गैर-अनुसूचित, और चार्टर्ड चाहे वह अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय, घरेलू और/या यात्री, कार्गो, मेल कूरियर और अन्य यातायात के लिए स्थानीय वायु सेवा हो और सभी विमानन से संबंधित सेवाएं जैसे खानपान, ग्राउंड हैंडलिंग, विमान रखरखाव और ईंधन भरने से है।

- "**समापन तिथि**" का अर्थ उस तिथि से है जिस पर खंड 2.2 में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के बाद निवेशकों द्वारा पूंजी योगदान योजना के अनुसार पूंजी योगदान का पहला भुगतान किया जाता है।
- "**वाणिज्यिक संचालन**" का अर्थ हवाई अड्डे के वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत से है।
- "**वाणिज्यिक संचालन तिथि**" का अर्थ उस तिथि से है जिस पर हवाई अड्डे के वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत होती है।
- "**चार्टर दस्तावेज**" का अर्थ एचआईएएल के एसोसिएशन के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख से है।
- "**रियायत समझौता**" का अर्थ परियोजना के संबंध में भारत सरकार और एचआईएएल द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले और दर्ज किए जाने वाले रियायत समझौते से है जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।
- "**अनुपालन विलेख**" का अर्थ यथा लागू अनुसूची 2A, 2B या 2C में निर्धारित रूप में काफी हद तक एक अनुपालन विलेख से है।
- "**विस्तृत परियोजना रिपोर्ट**" का अर्थ डेवलपर द्वारा परियोजना के प्रस्ताव चरण के लिए डेवलपर द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रस्ताव के आधार पर तैयार की जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट से है, और जिसे एचआईएएल के शेयरधारकों के बीच सहमति हुई हो और बोर्ड द्वारा अपनाया गया हो।
- "**विकास बजट**" का वही अर्थ होगा जो खंड 8.1 में दिया गया है।
- "**विकास लागत**" का अर्थ वित्तीय बंद होने से पहले incurred परियोजना की विकास लागतों से है।
- "**निदेशक (ओं)**" का अर्थ उस समय के लिए एचआईएएल के निदेशक (बोर्ड के) से है।
- "**उचित बाजार मूल्य**" का अर्थ अनुसूची 3 में उल्लिखित मूल्यांकन तंत्र का उपयोग करके गणना किए गए शेयरों के मूल्य से है।
- "**वित्तीय बंद**" का अर्थ उस तिथि से है जिस पर वित्तपोषण समझौते, इक्विटी दस्तावेज (यदि कोई हो) और ऋण के संबंध में दस्तावेज, यदि कोई हो, प्रभावी हो गए हैं और एचआईएएल के पास यहां प्रतिबद्ध फंडों के आहरण तक पहुंच है।
- "**वित्तीय वर्ष**" का अर्थ एचआईएएल के वित्तीय वर्ष से है, जिसकी अवधि 1 अप्रैल से शुरू होगी और 31 मार्च को समाप्त होगी, या इसके हिस्से के रूप में।
- "**वित्तपोषण समझौते**" का अर्थ सामूहिक रूप से उन समझौतों, उपकरणों और अन्य दस्तावेजों से है, जिन्हें एचआईएएल और ऋणदाताओं द्वारा निष्पादित किया जाता है जिसके तहत एचआईएएल को ऋण वित्तपोषण बढ़ाया जाता है। वित्तपोषण समझौते शब्द में यह समझौता या कोई अन्य समझौता शामिल नहीं होगा जिसके द्वारा गोआप संपूर्ण या आंशिक रूप से एचआईएएल को गोआप आधार समर्थन प्रदान करने के लिए सहमत होता है।
- "**प्रथम व्यापार योजना**" का अर्थ बोर्ड द्वारा अनुमोदित और एचआईएएल द्वारा अपनाई गई पहली पाँच (5) वर्ष की व्यापार योजना से है।
- "**जीएएपी**" का अर्थ भारतीय सनर्स्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा समय-समय पर प्रकाशित भारत के आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों से है।
- "**जीएमआर-एमएएचबी कंसोर्टियम**" का अर्थ जीएमआर और एमएएचबी के कंसोर्टियम से है।

- "**भारत सरकार**" का अर्थ किसी भी विभाग, मंत्रालय, प्राधिकरण, बोर्ड, एजेंसी या भारत सरकार के अन्य साधन सहित भारत सरकार से है, जिसके पास समय-समय पर लागू किसी भी सांविधिक, नियम और विनियम के तहत विधिवत रूप से गठित प्राधिकार है।
- "**गोआप**" का अर्थ किसी भी विभाग, मंत्रालय, प्राधिकरण, बोर्ड, एजेंसी या गोआप के अन्य साधन सहित आंध्र प्रदेश सरकार से है, जिसमें समय-समय पर लागू किसी भी राज्य के कानूनों, नियमों और विनियमों के तहत विधिवत रूप से गठित प्राधिकार रखने वाले उनके respective उत्तराधिकारी और समनुदेशीय शामिल हैं।
- "**सरकारी अनुमोदन**" का अर्थ परियोजना और परियोजना समझौतों के संबंध में आवश्यक किसी भी सरकारी प्राधिकारी की सभी सहमतियों, लाइसेंसों, अनुमोदनों, आदेशों, परमिटों, मंजूरियों या प्राधिकारों और पंजीकरणों, घोषणाओं और फाइलिंग से है।
- "**सरकारी प्राधिकारी**" का अर्थ भारत सरकार, गोआप, या किसी केंद्रीय या राज्य सरकार या सरकारी विभाग, आयोग, बोर्ड, निकाय, ब्यूरो, एजेंसी, विनियामक प्राधिकरण या भारत सरकार और/या गोआप के स्वामित्व वाली कंपनियों, साधन, अदालत या अन्य न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निकाय, केंद्रीय, राज्य, या स्थानीय निकाय से है, जिसकी पक्षकारों, हवाई अड्डे और सुविधाओं या उसके किसी भी हिस्से, या इस समझौते के तहत या इसके अनुसरण में पक्षकारों की सेवाओं या दायित्वों के सभी या किसी भी हिस्से के प्रदर्शन पर अधिकार क्षेत्र है, और इसमें भारतीय रिजर्व बैंक शामिल है।
- "**निवेशक**" का अर्थ राज्य प्रवर्तक, प्रायोजक और अन्य निवेशक, जैसा भी मामला हो, और "निवेशक" का अर्थ व्यक्तिगत रूप से किसी भी निवेशक से है।
- "**आईपीओ**" का अर्थ एचआईएएल द्वारा शेयरों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश से है।
- "**आईपीओ तिथि**" का अर्थ उस तिथि से है जिस पर आईपीओ संपन्न होता है।
- "**भूमि**" का अर्थ लगभग पाँच हजार (5,000) एकड़ क्षेत्रफल वाली संस्पर्शी, अनवरुद्ध और अबाधित भूमि से है जैसा कि भूमि पट्टे के समझौते में अधिक पूर्ण रूप से वर्णित है, जिस पर हवाई अड्डे का निर्माण किया जाना है।
- "**भूमि पट्टा समझौता**" का अर्थ उस दस्तावेज या साधन से है जो गोआप द्वारा दर्ज किया गया है या किया जाना है जिसके अनुसार गोआप ने एचआईएएल को भूमि में पट्टा अधिकार प्रदान किया है या प्रदान करेगा।
- "**कानून**" का अर्थ इस तिथि को और जो प्रवर्तित किए जा सकते हैं या बल और प्रभाव में लाए जा सकते हैं, सभी प्रासंगिक कानूनों से है, जिसमें कानून, नियम, प्रत्यायोजित विधान, प्रशासनिक आदेश, निर्णय, डिक्री, निर्देश, निषेधाज्ञा, उपनियम या इस समझौते के अस्तित्व के दौरान बल और प्रभाव में आने वाले किसी भी अदालत के आदेश शामिल हैं।
- "**ऋणदाता**" का अर्थ वित्तीय संस्थानों, बैंकों, फंडों, लीजिंग कंपनियों या ट्रस्टों से है जो परियोजना की लागत के ऋण घटक को प्रदान करते हैं या पुनर्वित्त करते हैं (जिसमें गारंटी सुविधा, भागीदारी सुविधा, हेज टेक-आउट सुविधा और ऋण वित्तपोषण के अन्य रूप शामिल हैं) और इसमें डिबेंचर/बॉन्ड धारकों के लिए ट्रस्टी या ग्राहक शामिल हैं।

## लीन

**"लीन"** का अर्थ किसी भी बंधक, गिरवी, डीड ऑफ ट्रस्ट, हाइपोथेकैशन, ग्रहणाधिकार, दावा, प्रतिभूति हित, भार, बोझ, यानी दोषपूर्ण शीर्षक, पट्टे के समझौते, पट्टे, उप-पट्टे, अधिभोग समझौते, लाइसेंस, प्रसंविदा, शर्त, अतिक्रमण, मतदान ट्रस्ट समझौते, हित के विकल्प, क्रय के प्रथम अधिकार, बातचीत के अधिकार, नीति, ज़ब्ती, प्रभार, लावारिस संपत्ति या किसी भी प्रकृति के अन्य प्रतिबंधों या सीमाओं से है, जिसमें किसी अनुबंध के तहत कानून के तहत उत्पन्न होने वाला ऐसा कोई भी लीन शामिल है, लेकिन यह तक सीमित नहीं है।

## लिस्टिंग

**"लिस्टिंग"** का अर्थ खंड 7 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में एचआईएएल के शेयरों की लिस्टिंग से है।

## लॉक-इन अवधि

**"लॉक-इन अवधि"** का अर्थ वह है जो खंड 6.1 में बताई गई है।

## एएआई इक्विटी कैप

**"एएआई इक्विटी कैप"** का अर्थ एएआई का अधिकतम पूंजी योगदान है, जो (i) 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बराबर भारतीय रुपये की राशि से कम, जब तक कि एमएएचबी द्वारा इसे बढ़ाने की आवश्यकता न हो, या (ii) पूरी तरह से रूपांतरित और पूरी तरह से समानीकृत आधार पर 11% शेयरधारिता प्रतिशत के अनुरूप राशि से अधिक नहीं होगा।

## मास्टर प्लान

**"मास्टर प्लान"** का अर्थ डेवलपर द्वारा गोआप को प्रस्तुत किए जाने वाले सीलबंद प्रस्ताव के विवरण और एचआईएएल के शेयरधारकों के बीच सहमति होने तथा एचआईएएल द्वारा अपनाए जाने वाले मास्टर प्लान से है।

## सामग्री उल्लंघन

**"सामग्री उल्लंघन"** का अर्थ इस समझौते के तहत किसी पक्ष द्वारा अपने किसी भी ऐसे दायित्व का उल्लंघन है जो इस समझौते द्वारा परिकल्पित पक्षों के दायित्वों के निष्पादन और उनके पूरा होने को महत्वपूर्ण रूप से और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

# मिलियन

"**मिलियन**" या "**मिलियन्स**" का अर्थ 100,000 है।

# गैर-पर recourse परियोजना वित्तपोषण

"**गैर-पर recourse परियोजना वित्तपोषण**" का अर्थ ऋणदाताओं द्वारा एचआईएएल को इस आधार पर प्रदान किए जाने वाले ऋण वित्त से है कि ऐसे ऋणदाताओं का एचआईएएल पर दावा केवल एचआईएएल की संपत्तियों तक ही सीमित होगा, किसी शेयरधारक पर नहीं।

# अन्य निवेशक

"**अन्य निवेशक**" का अर्थ उन व्यक्तियों से है जो इस समझौते के प्रावधानों के अनुसरण में शेयर ले सकते हैं और जो वास्तविक और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।

# पक्षकार

"**पक्षकार**" का अर्थ गोआप, एएआई, जीएमआर, एमएएचबी और एचआईएएल से होगा जहाँ संदर्भ अनुमति देता है, और प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से "**पक्षकार**" कहा जाएगा।

# निष्पादन गारंटी

"**निष्पादन गारंटी**" का अर्थ परियोजना विकास से संबंधित कर्तव्यों के उचित निष्पादन के लिए जीएमआर द्वारा गोआप को 50,000,000 रुपये (पचास मिलियन रुपये) की राशि के लिए किसी अनुसूचित बैंक से प्रदान की गई बैंक गारंटी से है।

# समापन पूर्व विकास लागत

"**समापन पूर्व विकास लागत**" का अर्थ प्रायोजकों, राज्य प्रवर्तकों, उनके संबंधित सहयोगियों द्वारा, समापन तिथि तक, परियोजना की खोज, पंजीकरण और विकास के लिए किए गए सभी प्रत्यक्ष बाहरी और आंतरिक लागतों से है, जिसमें इंजीनियरिंग और डिजाइन अध्ययनों की लागत, कानूनी अध्ययन, इसके लिए सलाहकारों और/या सलाहकारों और अन्य तीसरे पक्षों को शामिल करना, परियोजना समझौतों और वित्तपोषण समझौतों में प्रवेश करना शामिल है, लेकिन इसमें किसी भी पक्ष की लागत शामिल नहीं है (i) पसंदीदा बोलीदाता के रूप में प्रायोजकों के चयन से पहले परियोजना में रुचि प्राप्त करना, (ii) इस समझौते में प्रवेश करना और (iii) पक्षों द्वारा उनके संबंधित रूप में किए गए सामान्य, प्रशासनिक और ऊपरी लागत और (iv) इक्विटी के खिलाफ अग्रिम रूप से भुगतान की गई राशि। किसी भी समापन पूर्व विकास लागत के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, लागत की प्रत्येक वस्तु का पक्षों द्वारा अनुमोदित लेखा फर्म द्वारा समापन पूर्व विकास लागत के रूप में ऑडिट और अनुमोदन किया जाएगा। समापन पूर्व विकास लागत में विकास बजट के अनुसार किए गए लागत और खर्च शामिल होंगे।

## परियोजना

"**परियोजना**" का वही अर्थ होगा जो प्रस्तावना जी में दिया गया है।

## परियोजना समझौते

"**परियोजना समझौते**" का संयुक्त रूप से अर्थ इस समझौते, रियायत समझौते, संचालन राज्य समर्थन समझौते, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण समझौतों और प्रबंधन समझौतों, भूमि पट्टा समझौते, संचार और नौवहन सेवाओं और हवाई यातायात प्रबंधन समझौतों से है, जिन्हें परियोजना के संबंध में एचआईएएल द्वारा दर्ज किया जाना है और जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

## आरबीआई

"**आरबीआई**" का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक से है।

## आरक्षित मामले

"**आरक्षित मामले**" का अर्थ अनुसूची 4 में निर्धारित मामलों से है।

## रु. और रुपये

"**रु.**" और "**रुपये**" का अर्थ भारत की वैध मुद्रा से है।

## सचिव

"**सचिव**" का अर्थ एचआईएएल के कंपनी सचिव से है।

## शेयर

"**शेयर**" का अर्थ एचआईएएल की पूंजी में 10 रुपये के नाममात्र मूल्य के इक्विटी शेयर, या एचआईएएल द्वारा समय-समय पर उपयोग के लिए जारी किए जाने वाले शेयरों के किसी अन्य रूप या वर्ग के संदर्भ से है।

## शेयरधारक

"**शेयरधारक**" का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जो शेयर धारण करता है।

## शेयरधारिता प्रतिशत

"**शेयरधारिता प्रतिशत**" का अर्थ इस समझौते के अनुसार प्रत्येक निवेशक द्वारा धारित या धारित किए जाने वाले एचआईएएल की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के प्रतिशत से है।

# प्रायोजक

"**प्रायोजक**" का अर्थ जीएमआर और एमएएचबी और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशियों से होगा, बशर्ते कि केवल खंड 4.7 के उद्देश्यों के लिए, प्रायोजक में अन्य निवेशक और/या उनके संबंधित उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशी शामिल होंगे।

# राज्य प्रवर्तक

"**राज्य प्रवर्तक**" का अर्थ गोआप और एएआई और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशियों से है।

# राज्य समर्थन

"**राज्य समर्थन**" का अर्थ राज्य समर्थन समझौते में निर्धारित समर्थन और सहायता का अनुदान और/या प्रावधान है।

# राज्य समर्थन समझौता

"**राज्य समर्थन समझौता**" का अर्थ एचआईएएल को गोआप द्वारा ऐसे राज्य समर्थन के प्रावधान के लिए सीमा, दायरे और शर्तों को निर्धारित करने वाले गोआप और एचआईएएल के बीच दर्ज किए जाने वाले समझौते से है।

# व्याख्या

(a) इस समझौते के प्रयोजन के लिए, जहाँ संदर्भ इसकी अनुमति देता है (i) एकवचन में बहुवचन शामिल माना जाएगा और इसके विपरीत, (ii) पुल्लिंग लिंग में स्त्रीलिंग लिंग शामिल माना जाएगा और इसके विपरीत, और (iii) "शामिल" और "शामिल हैं" शब्दों का अर्थ बिना किसी सीमा के लगाया जाएगा।

(b) किसी भी महीने के संदर्भ का अर्थ कैलेंडर महीने के संदर्भ से होगा।

(c) खंडों, प्रस्तावनाओं या अनुसूचियों के संदर्भ इस समझौते के खंडों और प्रस्तावनाओं और अनुसूचियों के संदर्भ हैं। अनुसूचियाँ इस समझौते का हिस्सा बनेंगी।

(d) शीर्षकों और उप-शीर्षकों को केवल सुविधा के लिए शामिल किया गया है और ये इस समझौते की संरचना और व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे।

(e) खंड 1.1 में परिभाषित शब्दों के अतिरिक्त, इस समझौते में अन्य कैपिटलाइज़्ड शब्दों को इस समझौते में अन्यत्र परिभाषित किया गया है और जब भी ऐसे शब्दों का उपयोग

इस समझौते में किया जाता है, तो उनके संबंधित परिभाषित अर्थ होंगे, जब तक कि संदर्भ स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा अन्यथा न कहे।

(f) किसी व्यक्ति के संदर्भ में, जहाँ संदर्भ अनुमति देता है, प्राकृतिक व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों, कंपनियों, निकायों कॉर्पोरेट और संघों, चाहे निगमित हों या नहीं या किसी अन्य संगठन या इकाई जिसमें कोई सरकारी या राजनीतिक उप-विभाग, मंत्रालय, विभाग या एजेंसी शामिल है, के संदर्भ शामिल होंगे।

(g) यहाँ किसी भी सांविधिक प्रावधान के संदर्भ में ऐसा प्रावधान शामिल होगा, जैसा कि समय-समय पर बल में है और जैसा कि इस समझौते द्वारा कवर किए गए किसी भी लेनदेन पर लागू होने में सक्षम ऐसे किसी भी संशोधन या पुनर्र अधिनियमन द्वारा समय-समय पर संशोधित, पूरक या पुनः अधिनियमित किया गया है। किसी अधिनियम के किसी भी संदर्भ में उस अधिनियम के तहत बनाए गए अधीनस्थ विधान और उस अधिनियम या अधीनस्थ विधान के किसी भी संशोधन या प्रतिस्थापन के संदर्भ शामिल होंगे। किसी नियम या प्रक्रिया के किसी भी संदर्भ में उस नियम या प्रक्रिया के किसी भी संशोधन या प्रतिस्थापन के संदर्भ शामिल होंगे।

(h) किसी भी लागू सरकारी अनुमोदन को इस समझौते के प्रयोजनों के लिए "प्राप्त" मान लिया जाएगा, जब तक कि ऐसा लागू सरकारी अनुमोदन प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रदान या जारी नहीं कर दिया जाता है, ऐसा अनुदान किसी भी पेंडिंग कार्यवाही या अपील के अधीन नहीं होता है।

# ओवरराइडिंग प्रभाव

पक्षकार सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि यह समझौता इस समझौते के विषय वस्तु के संबंध में पक्षों के बीच के सभी पिछले समझौतों, ज्ञापनों या व्यवस्थाओं का स्थान लेता है और अन्य सभी समझौतों के स्थान पर उन पर बाध्यकारी होगा।

पक्षकार सहमत हैं कि चार्टर दस्तावेज इस समझौते में निहित विनियमों को पूरी तरह से बनाएंगे, शामिल करेंगे और प्रतिबिंबित करेंगे और पक्षकार इस उद्देश्य के लिए वित्तीय बंद पर या उससे पहले और हर समय एचआईएएल को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक और समय पर कदम उठाएंगे।

पक्षकार सहमत हैं कि संयुक्त उद्यम में उनके अधिकार और दायित्व, जिसमें एचआईएएल का संचालन, नियंत्रण और प्रबंधन शामिल है, इस समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार निगरानी, संचालित और नियंत्रित किए जाएंगे, और उनके बीच, यह समझौता अकेले उनके अनुबंध को नियंत्रित करेगा, और चार्टर दस्तावेजों सहित किसी अन्य दस्तावेज या समझौते में निहित किसी भी बात के बावजूद इस समझौते का ओवरराइडिंग प्रभाव होगा।

इस समझौते और चार्टर दस्तावेजों या किसी अन्य दस्तावेज के बीच किसी भी अस्पष्टता या असंगति की स्थिति में, यह समझौता प्रबल होगा और ऐसी अस्पष्टता या असंगति को (और पक्षकार ऐसा प्रयास करेंगे) अनुमेय सीमा तक, चार्टर दस्तावेजों या अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों

में आवश्यक संशोधन करके दूर किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

# अधिकारों का प्रयोग

इसके द्वारा प्रत्येक पक्ष सहमत है कि यह सुनिश्चित करेगा कि वह, उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, नामांकित व्यक्ति और एचआईएएल की बोर्ड या शेयरधारकों की बैठक में इसका प्रतिनिधित्व करने वाले एजेंट, इस समझौते के प्रावधानों का अनुपालन करने और पूरी तरह से लागू करने के तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

प्रत्येक पक्ष एचआईएएल के उद्देश्यों के संबंध में एक-दूसरे के प्रति अपने अधिकारों के प्रयोग और अपने दायित्वों के निर्वाह में उचित और सद्भाव से कार्य करने का वचन देता है।

किसी निवेशक द्वारा धारित शेयरधारिता प्रतिशत और इस समझौते के तहत मतदान अधिकारों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक निवेशक के सहयोगी (सहयोगियों) द्वारा धारित शेयरों को ध्यान में रखा जाएगा।

शेयर रखने वाले निवेशकों के सहयोगी (सहयोगियों) इस समझौते के तहत अपने सभी अधिकारों का प्रयोग उस निवेशक के माध्यम से करेंगे जिसके वे सहयोगी हैं।

# 2. पूर्ववर्ती शर्तें

2.1 प्रारंभिक निवेश

(a) गोआप प्रतिनिधित्व करता है कि वर्तमान में इसके पास एचआईएएल के 50,000 पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयर हैं जो एचआईएएल की पूरी चुकता शेयर पूंजी बनाते हैं।

(b) इस समझौते के निष्पादन पर, गोआप अपने नामांकित व्यक्तियों को 10 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर, एचआईएएल के 7,000 पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयर जीएमआर को, और 6,300 पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयर एएआई को हस्तांतरित करेगा और जीएमआर तथा एएआई इसके लिए सहमत हैं। इसके अलावा, एक उचित अवधि में, एचआईएएल एमएएचबी को 4,600 इक्विटी शेयर, गोआप और एएआई को प्रत्येक को 1,138 इक्विटी शेयर अधिमान्य आवंटन के आधार पर सममूल्य पर बेचेगा, और एमएएचबी, गोआप और एएआई प्रत्येक इसे खरीदने और सदस्यता लेने के लिए सहमत हैं। शेयरों की बिक्री और खरीद और शेयरों के निर्गम और आवंटन के पूरा होने पर, निवेशकों के संबंधित शेयरधारिता प्रतिशत खंड 4.2 के अनुरूप होंगे।

(c) साथ ही, ऊपर बताए गए शेयरों के निर्गम और आवंटन के साथ, एचआईएएल का बोर्ड भी खंड 5.1 के अनुसार पुनर्गठित किया जाएगा।

(d) खंड 2.3 के अनुसार समझौते की समाप्ति की स्थिति में, प्रायोजक ऐसी समाप्ति के साठ (60) दिनों के भीतर, गोआप को अपनी संपूर्ण शेयरधारिता बेच देंगे, और गोआप

प्रायोजक की शेयरधारिता को सममूल्य पर खरीदेगा, और इस तरह की बिक्री के साथ एक साथ, बोर्ड पर प्रायोजक द्वारा नामित निदेशक ऐसे हस्तांतरण की तिथि से प्रभावी रूप से अपना त्यागपत्र दे देंगे।

2.2 पूंजी योगदान की शर्तें

पूंजी योगदान योजना के अनुसार पहला पूंजी योगदान करने के लिए प्रत्येक निवेशक का दायित्व निम्नलिखित शर्तों की संतुष्टि या छूट के अधीन है:

- (a) वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी और अंतिम रूप देना,
- (b) गोआप द्वारा भूमि अधिग्रहण का पूरा होना, गोआप और एचआईएएल के बीच भूमि पट्टा समझौते का निष्पादन और भूमि पट्टा समझौते के अनुसार गोआप द्वारा एचआईएएल को भूमि का कब्जा सौंपना,
- (c) पूंजी योगदान योजना और अंतिम व्यावसायिक योजना को अंतिम रूप देना,
- (d) निम्नलिखित परियोजना समझौतों का निष्पादन: रियायत समझौता, राज्य समर्थन समझौता, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण समझौते, भूमि पट्टा समझौता, संचार और नौवहन सेवा और हवाई यातायात प्रबंधन समझौता और वित्तपोषण समझौता,
- (e) हवाई अड्डे के निर्माण की शुरुआत के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक सरकारी अनुमोदनों की प्राप्ति,
- (f) वित्तीय बंद की प्राप्ति,
- (g) इस समझौते की शर्तों को प्रतिबिंबित करने के लिए निवेशकों द्वारा आपसी सहमति से रूप और तरीके से चार्टर दस्तावेजों का संशोधन,
- (h) एचआईएएल में निवेश के लिए, यदि आवश्यक हो, तो आरबीआई की मंजूरी अन्य निवेशकों द्वारा प्राप्त करना।

पक्षकार आगे सहमत हैं कि कोई भी बाद C पूंजी योगदान उन शर्तों की संतुष्टि या छूट के अधीन किया जाएगा जो ऊपर निर्धारित की गई हैं और जो ऐसे पूंजी योगदान से पहले पूरी नहीं की गई हैं।

2.3 उचित प्रयास

(a) पक्षकारों में से प्रत्येक खंड 2.2 में निर्धारित पूर्ववर्ती शर्तों की संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए उचित प्रयास करेगा।

(b) पक्षकार सहमत हैं कि इस बात पर सहमति (या छूट) के बाद निवेशकों द्वारा पूंजी योगदान योजना के अनुसार पूंजी योगदान का पहला भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में, [1 जनवरी 2005] को या उससे पहले या परियोजना की समीक्षा और इसकी वित्तीय स्थिति के आधार पर निवेशकों के बीच आपसी सहमति से किसी अन्य तिथि पर, खंड 2.1 के तहत किए गए प्रारंभिक निवेशों के बावजूद, यह समझौता किसी भी पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को तीस (30) दिनों का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है, और ऐसे तीस (30) दिनों की अवधि के दौरान खंड 2.2 में निर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं होने की स्थिति में यह समझौता समाप्त हो जाएगा।

(c) खंड 2.3 के बाद इस समझौते की समाप्ति पर, चाहे ऐसी समाप्ति केवल प्रायोजकों की विफलता के कारण न हो, खंड 2.2 में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करने के लिए जो प्रायोजकों द्वारा पूरी की जानी आवश्यक हैं, गोआप (i) ऐसी समाप्ति के पैंतालीस (45) दिनों के भीतर जीएमआर को निष्पादन गारंटी वापस कर देगा, (ii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी की दिशा में प्रायोजकों (अन्य निवेशकों सहित) द्वारा किए गए वास्तविक लागत और खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगा, जिसमें खंड 2.6(a) के तहत देय किसी भी प्रतिपूर्ति या खरीद मूल्य को घटा दिया जाएगा, यदि इक्विटी के बदले अग्रिम रूप से राशि दी गई है, यदि शेयर जारी नहीं किए गए हैं। यदि खंड 2.3 के अनुसार निजी प्रवर्तकों को शेयर जारी किए गए हैं, तो इसके सममूल्य पर इसे अधिग्रहित कर लें। इस खंड 2.3 में प्रावधान किए गए को छोड़कर, इस खंड 2.3 के तहत किसी भी पक्ष को डिफ़ॉल्ट के रूप में कोई अन्य दायित्व या देयता नहीं होगी।

## 3. व्यवसाय

3.1 व्यवसाय

निवेशक इसके द्वारा इस समझौते में निहित नियमों और शर्तों के अधीन, परियोजना को लागू करने और एचआईएएल के माध्यम से व्यवसाय करने के लिए सहमत हैं। पक्षकार पहचानते हैं कि परियोजना रियायत समझौते के अनुसार कार्यान्वित की जाएगी।

इस समझौते के प्रावधानों पर पूर्वाग्रह के बिना, पक्षकारों का इरादा वाणिज्यिक संचालन तिथि को प्राप्त करने और इस समझौते की शर्तों के अनुसार परियोजना की निरंतर स्थिरता बनाने के लिए एचआईएएल में भाग लेना और परियोजना के साथ जुड़ाव है।

# पूँजी संरचना

- **पूँजी संरचना**: एचआईएएल की पूँजी संरचना और ऋण-से-इक्विटी अनुपात बोर्ड द्वारा विवेकपूर्ण वित्तीय मानदंडों और एचआईएएल के व्यवसाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर तय किया जाएगा।
- **एचआईएएल संरचना**: एचआईएएल को अपने स्वयं के कर्मियों और कार्यात्मक साइट के साथ एक स्वतंत्र और अलग इकाई के रूप में संरचित, संचालित और प्रबंधित किया जाएगा। एचआईएएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के संचालन और मामलों के संबंध में कार्यात्मक नियंत्रण, व्यय, बजटीय नियंत्रण और नियमित रिपोर्टिंग की उचित और पारदर्शी प्रणालियाँ स्थापित करेगा।

# प्रायोजकों की भूमिका

प्रायोजक एचआईएएल को आवश्यक सहायता और प्रबंधन प्रदान करेंगे। बिना किसी सीमा के, प्रायोजक परियोजना के कार्यान्वयन और संचालन के लिए सभी संसाधनों, विशेषज्ञता, प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और तकनीकी कौशल को व्यवस्थित और समन्वित करेंगे। इसके भाग के रूप में, प्रायोजक निम्नलिखित कार्य करेंगे:

- (a) एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार करें;
- (b) मास्टर प्लान के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और परियोजना के डिजाइन और विवरण को तैयार करें और गोआप तथा एएआई के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें और ऐसे अनुमोदन पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को बोर्ड द्वारा अपनाया जाएगा;
- (c) ऋण और इक्विटी जुटाने सहित परियोजना के लिए वित्तीय बंद (Financial Close) प्राप्त करने में एचआईएएल की सहायता करें;
- (d) निर्माण शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने में एचआईएएल को सलाह दें;
- (e) इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) के संबंध में परियोजना समझौ ेके पुरस्कार में सहायता प्रदान करें;
- (f) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार "कुल गुणवत्ता प्रबंधन कार्यक्रम" के कार्यान्वयन में एचआईएएल को सलाह दें;
- (g) परियोजना के निर्माण और संचालन चरणों के लिए एक पर्यावरण प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन में एचआईएएल को सलाह दें;
- (h) परियोजना समझौतों के अनुसार सभी मशीनरी, संयंत्र, उपकरण और संस्थापनों की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग को पूरा करने में एचआईएएल को सहायता प्रदान करें;
- (i) अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मानकों के अनुसार और भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशक के निर्देशों के अनुरूप एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अपेक्षित सेवा स्तर प्रदान करने के लिए हवाई अड्डे के सुरक्षित और संरक्षित संचालन और रखरखाव में एचआईएएल को सहायता प्रदान करें;
- (j) रियायत समझौते के अनुसार हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं को सेवाओं को बनाए रखने और सुधारने के लिए एक चरणबद्ध तरीके से हवाई अड्डे और सुविधाओं के उन्नयन के संबंध में एचआईएएल को सलाह दें;
- (k) यातायात उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिए एक वाणिज्यिक और कार्गो हब के रूप में हवाई अड्डे के विपणन, प्रचार और ब्रांड बिल्डिंग में एचआईएएल की सहायता करें;
- (l) हवाई अड्डे और सहायक सुविधाओं और/या अन्य गतिविधियों के उपयोगकर्ताओं (एयरलाइंस, यात्रियों, आगंतुकों और अन्य) से राजस्व, शुल्क, शुल्कों के संग्रह, विनियोग और आवंटन के लिए प्रणालियों को लागू करने में एचआईएएल की सहायता करें, जिसके लिए एचआईएएल हकदार है;
- (m) हवाई अड्डे के संचालन और रखरखाव को शुरू करने के लिए प्रतिभा को विकसित करने और नेतृत्व क्षमता पैदा करने के लिए उपयुक्त स्थानीय कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करें।

# राज्य प्रवर्तकों की भूमिका

- (a) गोआप अपने अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ प्रदान करेगा, और:
  - (i) प्रायोजकों के साथ आपसी सहमति से समर्थन और सहायता प्रदान करेगा;
  - (ii) भूमि पट्टा समझौते के अनुसार समय पर भूमि प्रदान करेगा;

  - (iii) गोआप के समय पर सरकारी अनुमो ودको सुविधाजनक बनाएगा और गोआप के सरकारी अनुमोदन और परियोजना के लिए सभी आवश्यक क्लियरेंस को सुविधाजनक बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा;
  - (iv) राज्य समर्थन समझौते को लागू करेगा;
  - (v) वाणिज्यिक संचालन तिथि पर सभी नागरिक उड्डयन गतिविधियों के लिए बेगमपेट, हैदराबाद में मौजूदा हवाई अड्डे को बंद करने को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा;
  - (vi) वाणिज्यिक संचालन तिथि के बाद बीस (20) वर्षों की अवधि के लिए इनलैंड एयर ट्रेवल टैक्स और फॉरेन ट्रेवल टैक्स छूट के लिए उचित अधिसूचनाओं के जारी होने को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा;
  - (vii) यूजर डेवलपमेंट फीस (यानी हवाई अड्डे पर हवाई अड्डे से प्रस्थान करने वाले यात्रियों से ली जाने वाली/वसूली जाने वाली फीस) के संग्रह को अधिकृत करने वाली उचित अधिसूचनाओं के जारी होने को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा।
- (b) एएआई अपने अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ प्रदान करेगा, और:
  - (i) प्रायोजकों और गोआप के साथ आपसी सहमति के अनुसार समर्थन और सहायता प्रदान करेगा;
  - (ii) संचार, नेविगेशन, निगरानी/हवाई यातायात प्रबंधन सेवाएं और हवाई सुरक्षा प्रणालियों (और समर्थन समझौتهा) को प्रदान करेगा।

# संबंधित पक्ष लेनदेन

यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि निवेशकों के किसी भी घटक या उनके सहयोगियों और एचआईएएल के बीच कोई भी लेनदेन, चाहे परियोजना समझौतों में परिलक्षित हो या नहीं, उचित बाजार शर्तों पर होगा।

# शेयर पूंजी

अधिकृत शेयर पूंजी

एचआईएएल की वर्तमान अधिकृत शेयर पूंजी 50,000,000 रुपये (पचास मिलियन रुपये) है, जो 10 रुपये (दस रुपये) के अंकित मूल्य के 5,000,000 (पाँच मिलियन) शेयरों में विभाजित है।

एचआईएएल की अधिकृत शेयर पूंजी, इस समझौते के नियमों और शर्तों के अधीन, पूंजी योगदान योजना के अनुसार परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय की जाने वाली राशि तक, मौजूदा स्तर से बढ़ाई जाएगी। एचआईएएल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके बाद अधिकृत शेयर पूंजी को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है।

शेयरधारिता और पूंजी संरचना

इस समझौते में शेयरों के हस्तांतरण और नए शेयरों की सदस्यता से संबंधित प्रावधानों के अधीन, एचआईएएल की पूंजी में निवेशकों की शेयरधारिता इस प्रकार प्राप्त और अभिदत की जाएगी:

- **प्रायोजक**: एमएएचबी इक्विटी कैप के अनुसार एमएएचबी शेयर रखेगा, इसके अलावा एमएएचबी और/या इसके सहयोगियों और/या अन्य निवेशकों द्वारा कुल मिलाकर **74%** (चौहत्तर प्रतिशत) चुकता और प्रदत्त शेयर पूंजी।
- **राज्य प्रवर्तक**: एएआई इक्विटी कैप के अनुसार एएआई शेयर रखेगा, इसके अलावा गोआप और/या इसके सहयोगियों द्वारा कुल मिलाकर **26%** (छब्बीस प्रतिशत) चुकता और प्रदत्त शेयर पूंजी।
- **कुल**: **100%** (एक सौ प्रतिशत)।

निवेशक अपने संबंधित पूंजी प्रतिबद्धता तक पूंजी योगदान योजना के अनुसार पूंजी योगदान करेंगे। पूंजी प्रतिबद्धताओं से परे कोई भी पूंजी योगदान समझौते की शर्तों के अनुसार किया जा सकता है और इस समझौते में कुछ भी शेयरों को जारी करने की एचआईएएल की क्षमता को प्रतिबंधित नहीं करेगा।

निवेशक इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार अपनी शेयरधारिता प्रतिशत में किसी भी बदलाव के अधीन, उपरोक्त अनुपात में एचआईएएल की शेयर पूंजी की सदस्यता के लिए सहमत हैं। जब तक बोर्ड द्वारा अन्यथा तय न किया जाए, निवेशक एचआईएएल द्वारा नामित बैंकों में लागू कानूनों के अधीन, नकद राशि (या बोर्ड द्वारा अन्यथा तय की गई राशि) का भुगतान करके क्रमशः अपने द्वारा सदस्यता के लिए सहमत शेयरों के लिए भुगतान करेंगे। निवेशक इस समझौते के तहत सीधे या अपने सहयोगियों के माध्यम से, और जीएमआर के मामले में अन्य निवेशकों के माध्यम से शेयर प्राप्त कर सकते हैं।

निवेशकों को जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों के, जब तक कि इस समझौते या निर्गम की शर्तों में अन्यथा प्रदान न किया जाए, समान अधिकार और विशेषाधिकार होंगे, जिसमें लाभांश और मतदान के संबंध में अधिकार शामिल हैं।

अन्य निवेशक

खंड 6.1 के लॉक-इन प्रावधानों के अधीन, जीएमआर कुछ व्यक्तियों को नए शेयरों की सदस्यता के माध्यम से या जीएमआर से मौजूदा शेयरों की खरीद के माध्यम से शेयर रखने के लिए अन्य निवेशकों के रूप में नामित कर सकता है। इस प्रकार नामित व्यक्ति यदि अनुसूची 5 में निर्धारित हैं, तो ऐसे अन्य निवेशकों द्वारा शेयरों के अधिग्रहण से पहले, एचआईएएल को सूचित किया जाएगा और ऐसा अन्य निवेशक अनुसूची 2 के रूप में अनुपालन विलेख निष्पादित करेगा; अन्य सभी मामलों में, जीएमआर किसी व्यक्ति को अन्य निवेशक के रूप में नामित करने से पहले एचआईएएल और गोआप की सहमति प्राप्त करेगा, जिसे अनुचित रूप से रोका नहीं जाएगा और ऐसी सहमति दी गई मानी जाएगी यदि जीएमआर से एएआई और/या गोआप द्वारा नोटिस प्राप्त होने के बाद पैंतालीस (45) दिनों के भीतर सहमति के अनुरोध के साथ प्राप्त लिखित संचार को अस्वीकार नहीं किया

जाता है और यदि सहमति दी जाती है या दी गई मानी जाती है तो ऐसा अन्य निवेशक अनुसूची 2 के रूप में अनुपालन विलेख निष्पादित करेगा।

राज्य प्रवर्तकों की शेयरधारिता

- (a) खंड 4.4(b) के अधीन, समापन तिथि पर या उससे पहले, राज्य प्रवर्तक शेयरधारिता के अपने संबंधित प्रतिशत की एचआईएएल और प्रायोजकों को लिखित सूचना देंगे, जो संचयी रूप से छब्बीस प्रतिशत (26%) होगी। प्रत्येक राज्य प्रवर्तक एचआईएएल की शेयर पूंजी की सदस्यता लेगा ताकि प्रत्येक ऐसे राज्य प्रवर्तक द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या जारी और चुकता शेयर पूंजी के शेयरधारिता प्रतिशत से अधिक न हो।
- (b) एएआई इक्विटी कैप के अधीन, खंड 6.1 में निर्धारित लॉक-इन अवधि के दौरान, राज्य प्रवर्तकों की संयुक्त शेयरधारिता कुल चुकता शेयर पूंजी के छब्बीस प्रतिशत (26%) से कम नहीं होगी, और यदि एएआई इक्विटी कैप तक पहुँच जाती है तो छब्बीस प्रतिशत (26%) की संयुक्त शेयरधारिता को बनाए रखने के लिए गोआप ऐसे अतिरिक्त राशि का योगदान करेगा।
- (c) राज्य प्रवर्तक सीधे और/या अपने सहयोगियों के माध्यम से शेयरों की सदस्यता लेंगे, जो ऐसी सदस्यता से पहले अनुसूची 2A के रूप में अनुपालन विलेख निष्पादित करेंगे।

प्रायोजकों की शेयरधारिता

प्रायोजक सीधे और/या अपने सहयोगियों के माध्यम से शेयरों की सदस्यता लेंगे और/या अधिग्रहण करेंगे, जो ऐसी सदस्यता से पहले अनुसूची 2 के रूप में अनुपालन विलेख निष्पादित करेंगे।

समापन तिथि पर या उससे पहले, प्रायोजक प्रायोजकों और अन्य निवेशकों (यदि कोई हो) के व्यक्तिगत शेयरधारिता प्रतिशत की एचआईएएल और राज्य प्रवर्तकों को सूचना देंगे, जो एमएएचबी इक्विटी कैप के अधीन, संचयी रूप से चौहत्तर प्रतिशत (74%) होगा। शेयरधारिता प्रतिशत में किसी भी बदलाव की सूचना एचआईएएल को दी जाएगी, जिसमें खंड 5.1 का अनुपालन भी शामिल है।

रिक्तिपूर्व अधिकार (Pre-emptive right)

खंड 2.1 या खंड 9.2 के आधार पर लागत अतिरेक और/या शेयरधारकों की बैठक में निर्णय के परिणामस्वरूप प्राथमिकता के आधार पर जारी किए गए शेयरों को छोड़कर, इस बात की स्थिति में कि एचआईएएल कोई नया शेयर प्रस्तावित करता है, निवेशकों को आनुपातिक आधार पर (पूरी तरह से रूपांतरित और पूरी तरह से क्षीण आधार पर) प्रथम इन्कार का अधिकार (Right of First Refusal) होगा, और ऐसी स्थिति में ऐसे शेयर खंड 4.7 या खंड 4.8 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी किए जाएंगे।

पूंजी प्रतिबद्धताओं तक शेयरों के आगे के निर्गम के लिए प्रक्रिया

जब तक पूंजी योगदान योजना के अनुसार प्रत्येक पक्ष द्वारा पूंजी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लिया जाता है, तब तक पक्षकार एचआईएएल द्वारा इस खंड 4.7 के अनुसार संबंधित शेयरधारिता प्रतिशत के अनुपात में नकद कॉल (Cash Calls) करने का कारण बनेंगे और सभी शेयर और सदस्यताएँ प्रत्येक निवेशक के लिए सममूल्य पर होंगी।

नकद कॉल बोर्ड द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित लिखित नोटिस द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रत्येक निवेशक द्वारा सदस्यता ली जाने वाली राशि, एचआईएएल के नामित खाते का विवरण ("नामित खाता") और वह तिथि निर्दिष्ट होगी जिस तक भुगतान किए जाने की अपेक्षा है ("निर्दिष्ट तिथि")। प्रत्येक शेयरधारक, प्रासंगिक पूंजी प्रतिबद्धता के अधीन, किसी भी कटौती के बिना नकद कॉल द्वारा भुगतान करने के लिए आवश्यक राशि के नामित खाते में भुगतान करने के लिए सहमत और वचनबद्ध है, बशर्ते कि:

- (a) यदि कोई प्रायोजक पूंजी योगदान करने में विफल रहता है ("डिफ़ॉल्टिंग स्पॉन्सर"), तो डिफ़ॉल्ट न करने वाला प्रायोजक ("अन्य स्पॉन्सर") डिफ़ॉल्टिंग स्पॉन्सर के पूंजी योगदान को निधि देने का हकदार होगा। इस समझौते के अन्य प्रावधानों पर पूर्वाग्रह के बिना, इस स्थिति में कि अन्य स्पॉन्सर ऐसे डिफ़ॉल्ट के पंद्रह (15) दिनों के भीतर डिफ़ॉल्टिंग स्पॉन्सर के पूंजी योगदान को निधि नहीं देता है, तो राज्य प्रवर्तक (ऐसा करने के लिए किसी भीobligation के बिना) सीधे या अपने सहयोगियों के माध्यम से ऐसे पूंजी योगदान को निधि दे सकते हैं।
- (b) यदि कोई राज्य प्रवर्तक पूंजी योगदान करने में विफल रहता है ("डिफ़ॉल्टिंग स्टेट प्रमोटर"), तो डिफ़ॉल्ट न करने वाला राज्य प्रवर्तक ("अन्य स्टेट प्रमोटर") डिफ़ॉल्टिंग स्टेट प्रमोटर के पूंजी योगदान को निधि देने का हकदार होगा। इस समझौते के अन्य प्रावधानों पर पूर्वाग्रह के बिना, इस स्थिति में कि अन्य स्टेट प्रमोटर ऐसे डिफ़ॉल्ट के पंद्रह (15) दिनों के भीतर डिफ़ॉल्टिंग स्टेट प्रमोटर के पूंजी योगदान को निधि नहीं देता है, तो प्रायोजक (ऐसा करने के लिए किसी भीobligation के बिना) सीधे या अपने सहयोगियों के माध्यम से, और जीएमआर के मामले में अन्य निवेशकों के माध्यम से ऐसे पूंजी योगदान को निधि दे सकते हैं।

नकद कॉल के अनुसरण में यदि कोई प्रायोजक या राज्य प्रवर्तक निर्दिष्ट तिथि तक एचआईएएल को भुगतान करने में विफल रहता है, तो डिफ़ॉल्टिंग स्पॉन्सर या डिफ़ॉल्टिंग स्टेट प्रमोटर, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट तिथि की समाप्ति पर साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर, नकद कॉल के एक हिस्से की सदस्यता लेगा और नकद कॉल के अनुसार भुगतान करेगा और निर्दिष्ट तिथि पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दीर्घकालिक प्रधान ऋण दर से एक प्रतिशत अधिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा ("नकद कॉल और उपर्युक्त संचित ब्याज को "नकद कॉल डिफ़ॉल्ट राशि" कहा जाएगा)। तब तक जब तक नकद कॉल को पूरा नहीं कर लिया जाता है, इस समझौते के तहत डिफ़ॉल्टिंग पार्टी के सभी अधिकार, जिसमें बोर्ड पर अधिकार शामिल हैं, निलंबित रहेंगे।

बशर्ते कि यदि डिफ़ॉल्टिंग स्पॉन्सर या डिफ़ॉल्टिंग स्टेट प्रमोटर का पूंजी योगदान, जैसा भी मामला हो ("डिफ़ॉल्टिंग पार्टी"), अन्य स्पॉन्सर या अन्य स्टेट प्रमोटर ("योगदानकर्ता पार्टी") द्वारा किया गया है, तो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी योगदानकर्ता पार्टी को नकद कॉल डिफ़ॉल्ट

राशि का भुगतान करेगी, और ऐसे भुगतान पर ऐसे नकद कॉल के अनुरूप शेयर डिफ़ॉल्टिंग पार्टी को जारी किए जाएंगे, और यदि डिफ़ॉल्टिंग पार्टी द्वारा ऐसा भुगतान नहीं किया जाता है, तो साठ (60) दिनों की अवधि के बाद योगदानकर्ता पार्टी को शेयर जारी किए जाएंगे। योगदानकर्ता पार्टी को शेयरों का ऐसा कोई भी निर्गम एचआईएएल को नकद कॉल डिफ़ॉल्ट राशि का भुगतान करने के डिफ़ॉल्टिंग पार्टी के दायित्व की छूट का गठन नहीं करेगा।

बशर्ते कि यदि डिफ़ॉल्टिंग पार्टी का पूंजी योगदान, अन्य स्पॉन्सर या अन्य स्टेट प्रमोटर द्वारा वित्तपोषण नहीं किया गया है, तो डिफ़ॉल्ट पार्टी एचआईएएल को नकद कॉल डिफ़ॉल्ट राशि का भुगतान करेगी, और ऐसे भुगतान पर ऐसे नकद कॉल के अनुरूप शेयर डिफ़ॉल्टिंग पार्टी को जारी किए जाएंगे।

किसी भी बात के विपरीत होने के बावजूद, प्रत्येक निवेशक का अपनी पूंजी प्रतिबद्धता को पूरा करने का दायित्व तब तक बना रहेगा जब तक कि संबंधित पूंजी प्रतिबद्धता राशि पूरी तरह से वित्तपोषित नहीं हो जाती।

पूंजी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति के बाद शेयरों के आगे के निर्गम के लिए प्रक्रिया

पूंजी योगदान योजना के तहत सभी पूंजी योगदान प्रत्येक निवेशकों द्वारा किए जाने के बाद, एचआईएएल निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार पूंजी योगदान योजना के अनुसार जारी किए गए शेयरों के अलावा किसी भी अन्य शेयर को जारी करने के लिए खंड 4.8 के अधीन होगा:

(a) एचआईएएल ऐसे निर्गम की नियोजित तिथि से कम से कम पचास (50) व्यावसायिक दिनों पूर्व प्रत्येक निवेशक को ऐसे निर्गम का लिखित नोटिस ("इश्यूएंस नोटिस") देगा (या निवेशकों द्वारा लिखित रूप में अन्यथा सहमति के अनुसार कम समय)। इश्यूएंस नोटिस में निर्धारित होगा (i) वह तिथि जिस पर ऐसे शेयर जारी किए जाने प्रस्तावित हैं ("इश्यूएंस डेट"), (ii) ऐसे प्रत्येक शेयर की कीमत ("इश्यूएंस प्राइस") जो उचित मूल्य होगी, (iii) सदस्यता के लिए प्रस्तावित शेयरों की संख्या ("ऑफ़र्ड शेयर्स")।

*(b)* प्रत्येक निवेशक निर्गम तिथि से कम से कम पंद्रह (15) व्यावसायिक दिन पूर्व एचआईएएल को एक लिखित नोटिस ("व्यायाम नोटिस") देकर किसी भी संख्या में प्रस्तुत शेयरों के लिए सदस्यता लेने की पेशकश कर सकता है। व्यायाम नोटिस में प्रस्तुत शेयरों की संख्या निर्धारित होगी जिसके लिए प्रत्येक निवेशक सदस्यता लेना चाहता है ("अधिकतम शेयर") और यह ऐसे शेयरधारक का निर्गम तिथि पर और व्यायाम नोटिस में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, अधिकतम शेयरों में से कम और नीचे दिए गए खंड 4.8(c) के अनुसार गणना किए गए प्रस्तुत शेयरों के हिस्से को खरीदने का बाध्यकारी और अटल समझौता होगा।

*(c)* एचआईएएल शुरू में प्रस्तुत शेयरों को उन निवेशकों के बीच, जिन्होंने व्यायाम नोटिस दिए हैं, उनके तत्कालीन शेयरधारिता प्रतिशत के अनुपात में तब तक जारी और आवंटित करेगा जब तक कि सभी प्रस्तुत शेयरों का आवंटन न हो जाए या ऐसे किसी निवेशक को उसके अधिकतम शेयर न मिल जाएं।

शेष प्रस्तुत शेयरों को शेष निवेशकों के बीच समान आनुपातिक आधार पर तब तक जारी और आवंटित किया जाएगा जब तक कि सभी प्रस्तुत शेयरों का आवंटन न हो जाए या शेष निवेशक को उसके अधिकतम शेयर न मिल जाएं, और इसी तरह, जब तक कि सभी प्रस्तुत शेयरों का आवंटन न हो जाए या सभी अधिकतम शेयर संतुष्ट न हो जाएं।

*(d)* एचआईएएल इसके बाद निवेशकों को आवंटित न किए गए प्रस्तुत शेयरों की पेशकश करेगा और निवेशकों को नोटिस की प्राप्ति के दस (10) दिनों के भीतर लिखित नोटिस द्वारा ऐसे सभी शेयरों की सदस्यता लेने का अधिकार होगा। ऐसे सभी शेयरों को खरीदने के लिए सहमत होने वाले एक से अधिक निवेशकों के मामले में, शेयर ऐसे निवेशकों के शेयरधारिता प्रतिशत के आनुपातिक आधार पर आवंटित किए जाएंगे। एचआईएएल इसके बाद इस खंड 4.8 के अनुसार किसी भी निवेशक को आवंटित न किए गए प्रस्तुत शेयरों को निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किसी भी व्यक्ति को ऐसी कीमत और सामान्य नियमों और शर्तों पर जारी और आवंटित कर सकता है जो निर्गम नोटिस में निवेशकों को दिए गए प्रस्तावों से ऐसे तीसरे पक्ष के लिए अधिक अनुकूल नहीं हैं, बशर्ते कि ऐसा तीसरा पक्ष अनुसूची 2बी में निर्धारित रूप में एक अनुपालन विलेख निष्पादित करे। एचआईएएल प्राप्त करेगा और प्रत्येक निवेशक व्यायाम नोटिस देने वाले प्रत्येक निवेशक को प्रस्तुत शेयरों के निर्गम और आवंटन की अनुमति देने के लिए आवश्यक किसी भी सरकारी प्राधिकारी के सभी अनुमोदन प्राप्त करने में सहयोग करेगा।

*(e)* निर्गम तिथि पर, निर्गम तिथि से कम से कम दो व्यावसायिक दिन पूर्व नामित एचआईएएल के खाते में तुरंत उपलब्ध फंड के वायर ट्रांसफर द्वारा निवेशक से एचआईएएल द्वारा प्राप्ति पर, (i) ऐसे शेयरधारक की व्यायाम राशि, और (ii) निर्गम मूल्य के गुणनफल के बराबर राशि, या निर्गम नोटिस में एचआईएएल द्वारा अपेक्षित ऐसी राशि:

- *(i)* ऐसे प्रत्येक निवेशक या अन्य निवेशक या उनके सहयोगी को, जैसा भी मामला हो, खंड 4.8(c) ("व्यायाम राशि") के अनुसार ऐसे निवेशक को आवंटित प्रस्तुत शेयरों की संख्या आवंटित करेगी;
- *(ii)* इस खंड 4.8(e) के अनुसार ऐसे प्रस्तुत शेयरों के लिए सदस्यता मूल्य के पूर्ण भुगतान के विरुद्ध व्यायाम राशि के बराबर प्रस्तुत शेयरों की संख्या के स्वामी के रूप में एचआईएएल के सदस्यों के रजिस्टर में ऐसे निवेशक या अन्य निवेशक या उनके सहयोगी, जैसा भी मामला हो, को पंजीकृत करेगी;
- *(iii)* किसी भी लीन से मुक्त और स्पष्ट, ऐसे निवेशक या अन्य निवेशक या उनके सहयोगी को, जैसा भी मामला हो, एक या अधिक प्रमाण पत्र (निर्गम तिथि से कम से कम दो व्यावसायिक दिन पूर्व प्रत्येक शेयरधारक द्वारा निर्देशित) जारी और वितरित करेगी जो शेयरधारक की व्यायाम राशि के बराबर राशि में प्रस्तुत शेयरों की संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।

*(iv)* शेयरधारक की व्यायाम राशि के बराबर प्रस्तुत शेयरों की संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शेयर प्रमाण पत्र, या जैसा भी मामला हो, उसके समान एक दस्तावेज वितरित करना।

*(f)* यदि कोई निवेशक एचआईएएल द्वारा इसके अधिग्रहण और सदस्यता के लिए सहमत होने के बाद इसके द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपनी व्यायाम राशि का भुगतान करने

में विफल रहता है, तो ऐसे अधिग्रहीत न किए गए प्रस्तुत शेयरों को इस समझौते के प्रावधानों के तहत डिफ़ॉल्ट करने वाले निवेशक के खिलाफ एचआईएएल के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, इस खंड 4.8 के अनुसार पुनः प्रस्तुत किए जाने के बाद ही जारी और आवंटित किया जा सकता है।

# प्रबंधन

निदेशक मंडल

एचआईएएल को बोर्ड की समग्र अधीक्षण, दिशा और नियंत्रण के तहत प्रबंधित और शासित किया जाएगा। परियोजना के विकास और प्रबंधन के संबंध में बोर्ड के पास समग्र अधिकार होगा।

बोर्ड की संरचना निम्नलिखित होगी:

- *(a)* बोर्ड में शुरू में बारह (12) निदेशक शामिल होंगे।
- *(b)* जब तक राज्य प्रवर्तक 26% से कम शेयरधारिता प्रतिशत नहीं रखते हैं, तब तक एएआई को दो (2) निदेशकों को नामांकित करने का अधिकार होगा और गोआप को दो (2) निदेशकों को नामांकित करने का अधिकार होगा।

यदि राज्य प्रवर्तकों का संयुक्त शेयरधारिता प्रतिशत छब्बीस (26%) शेयरधारिता प्रतिशत से कम हो जाता है, तो निदेशकों को नामांकित करने का उनका अधिकार इस प्रकार होगा:

| **शेयरधारिता प्रतिशत** | **निदेशकों की संख्या** |
|---|---|
| 0 - 10% से कम | एक |
| 10 - 20% से कम | दो |
| 20 - 26% से कम | तीन |

- *(c)* प्रायोजकों और अन्य निवेशकों को ऋणदाता के नामांकनों को छोड़कर, अन्य सभी निदेशकों को नामांकित करने का अधिकार होगा।
- *(d)* किसी भी निदेशक (ों) को ऋणदाता द्वारा नामांकित किए जाने की स्थिति में और यदि उधार लेने की शर्तें ऐसे ऋणदाता द्वारा निदेशक की नियुक्ति की

आवश्यकता रखती हैं, तो निवेशकों के बीच आपसी परामर्श के अधीन, ऊपर निर्दिष्ट निदेशकों की संख्या के अलावा ऐसा कोई भी निदेशक नियुक्त किया जा सकता है।

किसी निवेशक द्वारा नामांकित निदेशकों को ऐसे निवेशक के अनुरोध पर हटा दिया जाएगा। पक्षकार अपने संबंधित प्रतिनिधियों को दूसरे पक्ष के अनुरोध पर दूसरे पक्ष द्वारा नामांकित व्यक्ति को निदेशक के रूप में चुनने/नियुक्त करने/हटाने के पक्ष में मतदान करने का कारण बनेंगे और ऋणदाता के नामित निदेशक (ों) की नियुक्ति के लिए भी मतदान करेंगे। त्यागपत्र देने वाले या अक्षम हो चुके या हटाए गए या कार्यालय से अयोग्य घोषित किए गए पदाधिकारियों के स्थान पर यथासंभव शीघ्र ही प्रतिस्थापन निदेशक चुने जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रतिस्थापन उस पक्ष का नामित व्यक्ति होगा जिसने उस पदाधिकारी को प्रतिस्थापित किया है।

- **5.2 चेयरमैन (Chairman):**
  - जब तक प्रायोजक सीधे या अपने सहयोगियों के माध्यम से खंड 6.1(b) में निर्दिष्ट शेयरधारिता प्रतिशत, और उसके बाद कम से कम 26% शेयरधारिता प्रतिशत रखते हैं, एचआईएएल के चेयरमैन को प्रायोजकों के नामित निदेशकों में से जीएमआर द्वारा नामित किया जाएगा, जिन्हें ऐसे नामांकन पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
  - चेयरमैन एचआईएएल के पूर्णकालिक निदेशक नहीं होंगे और बोर्ड द्वारा अन्यथा तय किए जाने तक बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कार्यकारी शक्तियाँ उनके पास नहीं होंगी।
  - चेयरमैन बोर्ड या एचआईएएल के शेयरधारकों की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
  - यदि चेयरमैन बोर्ड की बैठक या शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उपस्थित निदेशक बोर्ड की बैठक के उद्देश्य से प्रायोजकों के नामित निदेशकों में से एक कार्यवाहक चेयरमैन (acting Chairman) नियुक्त कर सकते हैं।
  - चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट (निर्णायक मत) नहीं होगा।
- **5.3 प्रबंध निदेशक (Managing Director):**
  - एचआईएएल के प्रबंध निदेशक को जीएमआर द्वारा नामित किया जाएगा, जिन्हें ऐसे नामांकन पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
  - प्रबंध निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति की अवधि बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय की जाने वाली अवधि के लिए होगी और नियुक्त व्यक्ति के साथ विस्तृत रोजगार समझौते (यदि बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाए) के अधीन होगी।
  - प्रबंध निदेशक एचआईएएल के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन और एचआईएएल की व्यावसायिक योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
  - प्रबंध निदेशक बोर्ड की समग्र अधीक्षण, दिशा और नियंत्रण के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
- **5.4 वैकल्पिक निदेशक (Alternate Directors):**
  - प्रत्येक प्रायोजक और राज्य प्रवर्तक को अपने प्रत्येक नामित निदेशक के लिए एक वैकल्पिक निदेशक नामांकित करने का अधिकार होगा।

- यदि मूल निदेशक एचआईएएल की बैठक में उपस्थित होता है, तो वैकल्पिक निदेशक ऐसी बैठक में भाग लेने का हकदार नहीं होगा।
- वैकल्पिक निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का चयन उस पक्ष द्वारा किया जाएगा जिसके प्रतिनिधित्व के लिए मूल निदेशक को नियुक्त किया गया था।
- वैकल्पिक निदेशक सभी बैठकों की सूचना प्राप्त करने और मूल निदेशक की अनुपस्थिति में मूल निदेशक के स्थान पर ऐसी बैठकों में भाग लेने और मतदान करने और सामान्य रूप से मूल निदेशक के सभी कार्यों को निष्पादित करने का हकदार होगा।

- **5.5 पात्रता और फीस/व्यय (Eligibility and Fees/Expenses):**
  - निदेशकों को एचआईएएल में कोई भी योग्यता शेयर रखने की आवश्यकता नहीं है।
  - किसी भी पक्ष द्वारा नियुक्त और वापस लिए गए निदेशक, उस पक्ष की लिखित सहमति के बिना जिसके ऐसे निदेशक नामित थे, किसी अन्य पक्ष के नामित के रूप में नियुक्ति के लिए तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए पात्र नहीं होंगे।
  - निदेशक ऐसी बैठक फीस के हकदार होंगे जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती है, और बोर्ड की बैठकों में शामिल होने के लिए निदेशकों द्वारा किए गए सभी उचित वास्तविक लागतों और खर्चों, जैसे यात्रा, बोर्डिंग, लॉजिंग और ऐसे अन्य उचित आकस्मिक खर्चों की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।
- **5.6 समितियां (Committees):**
  - बोर्ड एचआईएएल के प्रबंधन और संचालन को सुगम बनाने के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली ऐसी समितियों का गठन और नियुक्ति कर सकता है, और ऐसी किसी भी समिति में राज्य प्रवर्तकों का एक नामित व्यक्ति होगा।
  - जिस सीमा तक किसी समिति के गठन की शर्तें समिति द्वारा निर्णय लेने को अधिकृत करती हैं, आरक्षित मामलों को छोड़कर समिति के कोई भी निर्णय बहुमत द्वारा होंगे और यदि गठन की शर्तें इस तरह के निर्णय लेने को अधिकृत नहीं करती हैं, तो समिति की सिफारिश विचार के लिए बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी।
  - वित्तीय बंद (Financial Close) के बाद बोर्ड यह निगरानी के लिए एक लेखा परीक्षा समिति (Audit Committee) नियुक्त करेगा कि एचआईएएल की गतिविधियाँ सामान्य व्यावसायिक मानकों और सभी प्रासंगिक भारतीय कानूनों और व्यावसायिक नीतियों के भीतर की जाती हैं।
  - बोर्ड लेखा परीक्षा समिति की पदावधि (terms of reference) निर्धारित करेगा।

- **5.7 परिपत्र संकल्प द्वारा निर्णय (Decision by Circular Resolution):**
  - खंड 5.10 के अधीन, उन मामलों को छोड़कर जहां कानून द्वारा बोर्ड की बैठक में किसी संकल्प को पारित किया जाना आवश्यक है, बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से पारित किया गया कोई भी संकल्प तब वैध होगा जब उसका

पारित होना अधिनियम के प्रावधानों और एचआईएएल के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार हो।

- इसके लिए आवश्यक है कि इसका एक मसौदा आवश्यक कागजात (यदि कोई हो) के साथ वैकल्पिक निदेशक (डायरेक्टरों) सहित सभी निदेशकों को उनके सामान्य पते पर परिचालित किया गया हो और उस पर मतदान करने के हकदार निदेशकों के बहुमत द्वारा इसे अनुमोदित किया गया हो।

- **5.8 बोर्ड की बैठकों की सूचना (Notice of Meetings of the Board):**
  - बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कम से कम पंद्रह (15) दिन पूर्व की लिखित सूचना भारत में वर्तमान में उपस्थित प्रत्येक निदेशक को उनके भारत के सामान्य पते पर और प्रत्येक अन्य निदेशक को दी जाएगी।
  - भारत के बाहर रहने वाले निदेशकों के मामले में, बोर्ड की प्रत्येक बैठक की सूचना ऐसे निदेशकों को भारत के बाहर उनके पते पर और भारत में उनके वैकल्पिक निदेशकों (यदि कोई हो) को उनके सामान्य पते पर भी दी जाएगी।
  - ऐसी सूचना के साथ एजेंडा होना अनिवार्य है जिसमें प्रत्येक मामले के संबंध में प्रासंगिक जानकारी और विवरण के साथ बोर्ड की बैठक में विचार किए जाने वाले प्रस्तावित व्यवसाय को निर्धारित किया गया हो।
  - निदेशकों के बहुमत की सहमति से बोर्ड की बैठक कम समय की नोटिस पर बुलाई जा सकती है, जो तीन (3) दिनों से कम की नहीं होगी।
  - भारत के बाहर निवासी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों की सूचना टेलेक्स, टेलीकॉपी (फैसिमाइल) या केबल द्वारा लिखित रूप में दी जाएगी और प्रीपेड रजिस्टर्ड या प्रमाणित एयर मेल या कूरियर सेवा द्वारा लिखित रूप में इसकी पुष्टि की जाएगी।

- **5.9 कोरम / गणपूर्ति (Quorum):**
  - बोर्ड की किसी भी बैठक के कोरम में प्रायोजकों द्वारा नामित कम से कम तीन (3) निदेशक शामिल होंगे।
  - जब तक राज्य प्रवर्तक कम से कम 10% शेयरधारिता प्रतिशत रखते हैं, तब तक राज्य प्रवर्तकों द्वारा नामित दो (2) निदेशक भी कोरम का हिस्सा होंगे (जब तक कि विशिष्ट बोर्ड बैठक के लिए इसके/उनके संबंधित नामित व्यक्ति के संबंध में क्रमशः प्रायोजकों और राज्य प्रवर्तकों द्वारा लिखित रूप में ऐसी आवश्यकता को माफ न किया जाए)।
  - यदि बोर्ड की बैठक में कोरम उपस्थित नहीं होता है, तो बैठक सात (7) दिनों के बाद उसी स्थान के लिए स्थगित कर दी जाएगी, जहां तीन (3) से कम न होने वाले निदेशक कोरम का गठन करेंगे, बशर्ते कि शुरुआती बैठक की सूचना सभी निदेशकों को विधिवत दी गई हो।
  - एचआईएएल के शेयरधारकों की बैठक के लिए कोरम प्रायोजकों और राज्य प्रवर्तकों में से प्रत्येक का एक (1) प्रतिनिधि होगा।
  - यदि बैठक के लिए निर्धारित समय के एक (1) घंटे के भीतर कोई कोरम उपस्थित नहीं होता है, तो बैठक सात दिन बाद के लिए स्थगित कर दी जाएगी।

- यदि ऐसी पुनर्आयोजित बैठक में भी कोई कोरम उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे सत्र में उपस्थित शेयरधारक (जो तीन (3) से कम नहीं होने चाहिए) आवश्यक कोरम का गठन करेंगे।

- **5.10 निर्णय (Decisions):**
  - बोर्ड के सभी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले निदेशकों के साधारण बहुमत से किए जाएंगे।
  - आरक्षित मामलों (Reserved Matters) के संबंध में प्रायोजकों और राज्य प्रवर्तकों की सहमति नीचे निर्धारित तरीके से आवश्यक होगी, जिसका अभ्यास एचआईएएल के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

- *(a)* जब तक जीएमआर अपने सहयोगियों और अन्य निवेशकों के साथ मिलकर 10% या उससे अधिक शेयरधारिता प्रतिशत रखता है, तब तक किसी भी आरक्षित मामले (Reserved Matters) के संबंध में कोई भी निर्णय:
  - *(i)* बोर्ड का केवल बहुमत के वोट से लिया जा सकता है, जिसमें जीएमआर के कम से कम एक नामित निदेशक का सकारात्मक वोट शामिल होना चाहिए;
  - *(ii)* शेयरधारकों का केवल जीएमआर के प्रतिनिधि की सहमति से लिया जा सकता है।
- *(b)* जब तक राज्य प्रवर्तक (अपने सहयोगियों के साथ) व्यक्तिगत रूप से 5% या उससे अधिक शेयरधारिता प्रतिशत रखते हैं, तब तक किसी भी आरक्षित मामले के संबंध में कोई भी निर्णय:
  - *(i)* बोर्ड का केवल बहुमत के वोट से लिया जा सकता है, जिसमें एएआई और गोआप प्रत्येक के कम से कम एक नामित निदेशक का सकारात्मक वोट शामिल होना चाहिए;
  - *(ii)* शेयरधारकों का केवल एएआई और गोआप प्रत्येक के प्रतिनिधि की सहमति से लिया जा सकता है।

- **5.11 वे परिस्थितियाँ जिनमें साधारण बहुमत से अतिरिक्त पूँजी जुटाई जा सकती है**

- *(a)* ऐसी असंभावित स्थिति में कि एचआईएएल को परिचालन घाटा उठाना पड़ता है या किसी ऐसी भविष्य की विस्तार योजना को वित्तपोषित नहीं कर सकता है जिसके वित्तपोषण का प्रावधान व्यावसायिक योजना (Business Plan) में नहीं किया गया है, बोर्ड एचआईएएल द्वारा अपनाए जाने वाले वित्तपोषण के संभावित साधनों पर सलाह देने के लिए एक वित्तीय सलाहकार नियुक्त कर सकता है। पक्षों के बीच यह सहमति है कि जहाँ तक संभव हो ऐसा वित्तपोषण पहले आंतरिक उपार्जन (internal accruals) और उसके बाद उधार के माध्यम से होगा। हालाँकि, यदि आंतरिक उपार्जन या उधार उचित और संतोषजनक शर्तों पर उपलब्ध नहीं हैं, तो बोर्ड, कवर न किए गए परिचालन घाटे को वित्तपोषित करने या भविष्य की विस्तार योजनाओं को निधि देने के लिए राइट्स इश्यू के माध्यम से आगे के शेयरों के निर्गम को साधारण बहुमत से अनुमोदित कर सकता है।

- *(b)* विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report) के अंतिम रूप दिए जाने के बाद कानून में कोई भी बदलाव (वैधानिक बल वाले किसी भी अधिनियमन, कानून, विनियमन, नियम, अधिसूचना, आदेश या निर्देश में किसी भी बदलाव सहित) यदि परियोजना के दायरे में बदलाव की मांग करता है जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त पूंजीगत व्यय होता है, जिसका वित्तपोषण आकस्मिकताओं में या व्यावसायिक योजना में अन्यथा कवर नहीं किया जा सकता है, तो बोर्ड एचआईएएल द्वारा अपनाए जाने वाले वित्तपोषण के संभावित साधनों पर सलाह देने के लिए एक वित्तीय सलाहकार नियुक्त कर सकता है। पक्षों के बीच यह सहमति है कि जहाँ तक संभव हो ऐसा वित्तपोषण पहले उधार के माध्यम से होगा। हालाँकि, यदि उधार उचित और संतोषजनक शर्तों पर उपलब्ध नहीं हैं, तो बोर्ड ऐसे अतिरिक्त पूंजीगत व्यय को निधि देने के लिए राइट्स इश्यू के माध्यम से आगे के शेयरों के निर्गम को साधारण बहुमत से अनुमोदित कर सकता है।

- **5.12 अप्रत्याशित घटनाएँ (Unforeseeable Events)**

- *(a)* यदि प्रायोजकों के उचित नियंत्रण से परे किसी अप्रत्याशित घटना के कारण परियोजना वित्तीय रूप से या अन्यथा प्रभावित होती है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:
  - *(i)* पक्ष ऐसे जोखिम या लागतों को कम करने के लिए कार्रवाई के पाठ्यक्रम और आवश्यक होने पर वित्तपोषण के तरीके पर एक-दूसरे से परामर्श करेंगे।
  - *(ii)* ऐसी स्थिति में बोर्ड एचआईएएल द्वारा अपनाए जाने वाले वित्तपोषण के संभावित तरीके पर सलाह देने के लिए एक वित्तीय सलाहकार नियुक्त कर सकता है।

- *(iii)* पक्षों के बीच वित्तपोषण के तरीके पर समझौते के लंबित रहने पर, बोर्ड, यदि ऐसा करना उचित हो, तो उपर्युक्त घटना के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे नियमों और शर्तों पर उधार या ऋण जुटा सकता है जो उचित समझे जाएँ, बशर्ते कि कुल सीमा (इस खंड 5.12 के उद्देश्य से प्राप्त किसी भी मौजूदा ऋण के साथ) 250,000,000 रुपये (दो सौ पचास मिलियन रुपये) हो।
- *(b)* पक्षकार पहचानते हैं और सहमत हैं कि अप्रत्याशित घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिमों और लागतों को, जहाँ तक संभव हो, संबंधित तीसरे पक्षों द्वारा वहन किया जाएगा और/या उनके खिलाफ उचित बीमा कराया जाएगा, ताकि ऐसे जोखिमों और लागतों से सुरक्षा उपलब्ध हो।

- **5.13 लाभांश (Dividends)**

- साधारण बैठक में एचआईएएल लाभांश घोषित कर सकता है, लेकिन कोई भी लाभांश बोर्ड द्वारा अनुशंसित लाभांश की राशि से अधिक नहीं होगा।
- किसी भी लाभांश की घोषणा की सिफारिश करते समय, बोर्ड यातायात वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डे की विस्तार योजनाओं और उसके लिए प्रावधान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखेगा और विचार करेगा।

5.14 व्यापार योजना, वार्षिक व्यापार योजना, वार्षिक बजट और पूंजी योगदान योजना (Business Plan, Annual Business Plan, Annual Budget and Capital Contribution Plan)

- पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि पूंजी योगदान योजना सहित व्यापार योजना, वार्षिक बजट और वार्षिक व्यापार योजना तैयार करके अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी एचआईएएल के अधिकारियों की होगी।
- पूंजी योगदान योजना नकद कॉल के लिए पूर्वानुमान निर्धारित करेगी।
- एचआईएएल की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर व्यापार योजना की समीक्षा और संशोधन किया जा सकता है।
- प्रत्येक वार्षिक बजट और वार्षिक व्यापार योजना की तैयारी के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:
    - *(a)* एचआईएएल के प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से कम से कम तीस (30) दिन पहले, ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट और वार्षिक व्यापार योजना बोर्ड द्वारा विधिवत अधिकृत एचआईएएल के एक अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी और अनुमोदन के लिए बोर्ड के सामने प्रस्तुत की जाएगी।
    - *(b)* प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट और वार्षिक व्यापार योजनाओं के अलावा, अगले वित्तीय वर्ष के लिए एक अनंतिम पूंजी योगदान योजना सहित एक वार्षिक अनंतिम बजट और वार्षिक व्यापार योजना भी तैयार की जाएगी और अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
    - *(c)* यदि किसी वित्तीय वर्ष की शुरुआत से शुरू होने वाले पंद्रह (15) व्यावसायिक दिनों के भीतर, बोर्ड ने उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट और वार्षिक व्यापार योजना को अनुमोदित और अद्यतन नहीं किया है, तो उस वित्तीय वर्ष के लिए पहले से अनुमोदित वार्षिक अनंतिम बजट और व्यापार योजना लागू होगी, और उस वित्तीय वर्ष के लिए ऑपरेटिंग वार्षिक बजट और वार्षिक व्यापार योजना के रूप में उपयोग की जाएगी जब तक कि बोर्ड एक अलग वार्षिक बजट और वार्षिक व्यापार योजना को अनुमोदित नहीं करता है, और एचआईएएल का एक अधिकारी (बोर्ड द्वारा विधिवत अधिकृत) को अनुमोदित वार्षिक अनंतिम बजट और व्यापार योजनाओं के अनुसार एचआईएएल के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार और दायित्व होगा।

# 6. शेयर हस्तांतरण

6.1 प्रयोज्यता

- पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि इस खंड 6.1 के प्रावधानों के अधीन, खंड 6 में निर्धारित प्रावधान एचआईएएल के संबंधित शेयरधारकों द्वारा शेयरों के किसी भी हस्तांतरण पर लागू होंगे।
- बशर्ते कि इस खंड 6.1 में निहित प्रतिबंध एचआईएएल के लिए ऋण/ऋण सुरक्षित करने के उद्देश्य से ऋणदाताओं (प्रायोजकों या उनके सहयोगियों को छोड़कर) के

पक्ष में शेयरों को गिरवी रखने के अनुसरण में किसी भी हस्तांतरण पर लागू नहीं होंगे।

- इस समझौते के अनुसार समापन तिथि पर निवेशकों द्वारा शेयरों की पहली सदस्यता पर, प्रायोजकों और राज्य प्रवर्तकों की शेयरधारिता नीचे निर्धारित अवधियों के दौरान निम्नलिखित लॉक-इन प्रतिबंधों के अधीन होगी ("लॉक-इन अवधि"):
    - प्रायोजक एचआईएएल की कम से कम पैंतालीस प्रतिशत (45%) शेयरधारिता प्रतिशत की सदस्यता लेंगे और उसे अपने पास रखेंगे (जिसमें से जीएमआर न्यूनतम 40% और एमएएचबी न्यूनतम 5% रखेगा) वाणिज्यिक संचालन तिथि से तीन (3) वर्षों की समाप्ति तक, और वाणिज्यिक संचालन तिथि के बाद सात (7) वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी स्थिति में छब्बीस प्रतिशत (26%) शेयरधारिता प्रतिशत से कम नहीं होगी।
    - राज्य प्रवर्तक वाणिज्यिक संचालन तिथि के बाद सात (7) वर्षों की समाप्ति तक एचआईएएल में कम से कम छब्बीस (26) प्रतिशत शेयरधारिता प्रतिशत की सदस्यता लेंगे और उसे अपने पास रखेंगे।
- कोई भी शेयरधारक सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से अपने शेयरों के सभी या किसी भी हिस्से को बेच, हस्तांतरित, सम्यदेशित, निपटान, कोई भार (encumbrance) या गिरवी (सामूहिक रूप से, "हस्तांतरण") नहीं बना सकता है, जब तक कि खंड 6, खंड 13.4, खंड 13.5 या खंड 4.3 के प्रावधानों के अनुसार न हो।
- प्रायोजकों और राज्य प्रवर्तकों में से प्रत्येक (या उनके संबंधित सहयोगी जो शेयर रखते हैं) खंड 6.1(b) में निहित प्रतिबंधों के बावजूद अपने किसी भी सहयोगी को अपने शेयरों के सभी या किसी भी हिस्से को बेचने, सम्यदेशित करने या अन्यथा हस्तांतरित करने के हकदार होंगे और खंड 6.2 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, बशर्ते कि ऐसे सहयोगी के पास निम्नलिखित हों:
    - ऐसे हस्तांतरित शेयरों के संबंध में संबंधित हस्तांतरणकर्ता प्रायोजक या राज्य प्रवर्तक, जैसा भी मामला हो ("हस्तांतरणकर्ता") के अधिकारों और दायित्वों को ग्रहण करने के लिए अनुसूची 2A के अनुसार अनुपालन विलेख (Deed of Adherence) के माध्यम से प्रत्येक अन्य पक्ष को एक लिखित समझौता निष्पादित और वितरित किया गया हो।
    - ट्रांसफ़री का लिखित समझौता कि यदि ट्रांसफ़री ट्रांसफ़रर का सहयोगी नहीं रह जाता है, तो वह ऐसी घटना से पहले एचआईएएल में उसके द्वारा रखे गए सभी शेयरों को संबंधित ट्रांसफ़रर या संबंधित ट्रांसफ़रर के अन्य सहयोगी (सहयोगियों) को हस्तांतरित कर देगा।

राज्य प्रवर्तक और प्रायोजक एतद्द्वारा इस समझौते के तहत सभी दायित्वों के सहयोगी ट्रांसफ़री ("ट्रांसफ़री") द्वारा उचित और समय पर प्रदर्शन की गारंटी देने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से सहमत हैं, और ऐसी गारंटी ट्रांसफ़रर के संविधान में किसी भी परिवर्तन या समापन या किसी भी व्यक्ति या इकाई के साथ ट्रांसफ़रर के अवशोषण, पुनर्गठन, विलय या समामेलन से प्रभावित नहीं होगी। अन्य पक्षों (हस्तांतरणकर्ता को छोड़कर) द्वारा अन्य पक्षों को देय किसी भी धन के भुगतान को लागू करने में उपेक्षा, संयम या छूट इस गारंटी को प्रभावित नहीं करेगी।

ट्रांसफरी, या अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अन्य पक्षों द्वारा ट्रांसफरी को समय में दी गई कोई भी छूट, हस्तांतरणकर्ता (Transferor) को यहाँ निर्धारित उसकी गारंटी देयता से किसी भी तरह से मुक्त नहीं करेगी। हस्तांतरणकर्ता अन्य पक्षों को किसी भी देयता, हानि या क्षति के खिलाफ हर्जाना देने और सुरक्षित रखने का वचन देता है, जो ट्रांसफरी द्वारा इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के सामग्री उल्लंघन (Material Breach) के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है, जो ट्रांसफरी द्वारा खरीदे गए शेयरों के अधिग्रहण के अनुसरण में हस्तांतरित किए गए हैं (बिना किसी सीमा के, अन्य पक्षों द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों सहित)। इसके तहत हस्तांतरणकर्ता के दायित्व निरंतर दायित्व होंगे और इस समझौते के तहत ट्रांसफरी के दायित्वों के सह-समाप्ति (co-terminus) होंगे।

- *(e)* प्रत्येक प्रायोजक और राज्य प्रवर्तक (या उनके संबंधित सहयोगी जो शेयर रखते हैं) खंड 6.1(b) में निहित प्रतिबंधों के बावजूद, खंड 6.2 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अपने शेयरों के सभी या किसी भी हिस्से को हस्तांतरित करने के हकदार होंगे:
  - *(i)* राज्य प्रवर्तकों के आपस में (inter se);
  - *(ii)* प्रायोजकों के आपस में;
  - *(iii)* जीएमआर और अन्य निवेशकों के बीच आपस में और इसके विपरीत;
  - *(iv)* खंड 4.3 के अनुसरण में जीएमआर द्वारा अन्य निवेशकों को; या
  - *(v)* खंड 6.1(a) के अनुसरण में हस्तांतरण।
- *(f)* कोई पक्ष परियोजना में अपने निवेश को राजनीतिक जोखिमों (जैसे जब्ती और राष्ट्रीयकरण) के खिलाफ बीमाकृत कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे निवेश से काफी वंचित होना पड़ सकता है। पक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि यदि और केवल यदि इस तरह के बीमा कवर के अनुदान की एक शर्त यह है कि उपर्युक्त बीमाकृत घटना के घटित होने की स्थिति में ऐसे पक्ष के शेयरों को प्रासंगिक बीमाकर्ता या उसके नामितों को तीसरे पक्ष के अधिकारों से मुक्त होकर हस्तांतरित किया जाना चाहिए, तो ऐसा पक्ष बीमा के तहत दावा करने की स्थिति में अपने शेयरों को इस प्रकार हस्तांतरित करने का हकदार होगा। जैसे ही और जब कोई पक्ष ऐसा बीमा प्राप्त करता है, वह अन्य पक्षों को इसकी सूचना देगा, जब तक कि ऐसे बीमा पॉलिसी के नियमों द्वारा अन्यथा वर्जित न हो।

## 6.2 प्रथम प्रस्ताव का अधिकार – हस्तांतरण

खंड 6.1 में प्रदान किए गए अनुमत हस्तांतरणों को छोड़कर, एचआईएएल में कोई भी शेयरधारक इस खंड 6.2 में निहित प्रक्रिया को पहले पूरा किए बिना, खंड 6.2 में निहित प्रावधानों के अनुसार किसी तीसरे पक्ष को एचआईएएल में अपने शेयरों या हितों का निपटान या हस्तांतरण नहीं करेगा:

- *(a)* ऐसे किसी भी बिक्री या अपने शेयरों के हस्तांतरण को पूरा करने से पहले, शेयरधारक ("ऑफ़रर") सभी अन्य शेयरधारकों ("ऑफ़री") को एक लिखित नोटिस ("ऑफ़र नोटिस") देगा। ऑफ़र नोटिस पूरी तरह से खुलासा करेगा और उचित विवरण में निर्धारित करेगा:

- *(i)* बेचे जाने वाले प्रस्तावित शेयरों की संख्या ("विषय शेयर");
- *(ii)* विषय शेयरों की प्रति शेयर कीमत ("विषय मूल्य") (जो नकद कीमत होगी); और
- *(iii)* प्रस्तावित हस्तांतरण के अन्य कोई भी महत्वपूर्ण नियम और शर्तें।

ऑफ़र नोटिस सभी ऑफ़री के बीच, ऑफ़र नोटिस में निर्धारित और यहाँ प्रदान किए गए विषय मूल्य पर और अन्य नियमों और शर्तों पर, आनुपातिक आधार पर (पूरी तरह से क्षीण और पूरी तरह से रूपांतरित आधार पर) विषय शेयरों को ऑफ़री को बेचने के प्रस्ताव का गठन करेगा।

- *(b)* प्रत्येक ऑफ़री, ऑफ़री द्वारा ऑफ़र नोटिस प्राप्त होने के बाद तीस (30) व्यावसायिक दिनों के दौरान किसी भी समय ऑफ़रर को एक लिखित नोटिस ("स्वीकृति नोटिस") देकर ऑफ़र नोटिस में निर्धारित प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है, जिसमें विषय शेयरों की एक ऐसी मात्रा को खरीदने की अपनी अटल प्रतिबद्धता निर्धारित की गई हो, जो अन्य ऑफ़री द्वारा खरीदे जाने वाले किसी भी विषय शेयरों के साथ संयुक्त होने पर, विषय शेयरों की कुल संख्या से अधिक न हो, यहाँ निर्धारित नियमों और शर्तों पर, बशर्ते कि ऑफ़री को कोई आवश्यक तीसरे पक्ष के अनुमोदन या सरकारी अनुमोदन प्राप्त हों (नोटिस में निर्दिष्ट किए जाने वाले), और सभी का अनुपालन हो...
- *(c)* यदि ऑफ़री या ऑफ़री खंड 6.2(b) में निर्धारित समय के भीतर स्वीकृति नोटिस वितरित करते हैं और इस खंड 6.2 के अनुसार सभी विषय शेयरों को खरीदने के लिए सामूहिक रूप से सहमत होते हैं, तो ऑफ़रर ऐसे विषय शेयरों को स्थानांतरित करेगा, और ऑफ़री ऊपर दिए गए खंड 6.2(b) में निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा होने के बाद पैंतालीस (45) व्यावसायिक दिनों के भीतर भुगतान करेंगे। यदि वितरित स्वीकृति नोटिस द्वारा प्रमाणित, ऑफ़री द्वारा खरीदे जाने वाले शेयरों की कुल संख्या, विषय शेयरों की संख्या से अधिक हो जाती है, तो ऑफ़रर शुरू में उन ऑफ़री के बीच विषय शेयरों को आनुपातिक रूप से (पूरी तरह से क्षीण और पूरी तरह से रूपांतरित आधार पर) आवंटित करेगा जिन्होंने स्वीकृति नोटिस वितरित किए हैं, जो ऐसे ऑफ़री के शेयरों की संबंधित होल्डिंग्स के अनुसार होंगे, जब तक कि सभी विषय शेयरों को इस प्रकार आवंटित नहीं कर दिया जाता है या ऐसे किसी एक ऑफ़री को विषय शेयरों का उसका वांछित हिस्सा नहीं मिल जाता है। शेष विषय शेयरों को शेष ऑफ़री के बीच समान आनुपातिक आधार पर ऑफ़रर द्वारा आवंटित किया जाएगा, जब तक कि सभी विषय शेयरों का आवंटन नहीं हो जाता या शेष ऑफ़री को उनके विषय शेयरों का वांछित हिस्सा नहीं मिल जाता, और इसी तरह, जब तक कि सभी विषय शेयरों का आवंटन नहीं हो जाता।
- *(d)* यदि ऑफ़र नोटिस में निर्धारित प्रस्ताव स्वीकृति नोटिस (नोटिसों) में निर्धारित समझौते के बिना समाप्त हो जाता है, विषय शेयरों के सभी शेयरों को खरीदने के लिए ऑफ़री का, या यदि ऑफ़री इस खंड 6.2 में प्रदान किए गए सभी विषय शेयरों की खरीद को बंद करने में विफल रहे हैं, तो ऑफ़रर के पास, इस समझौते के अन्य प्रावधानों के अधीन, विषय शेयरों को स्थानांतरित करने के लिए एक सौ बीस (120) व्यावसायिक दिन होंगे, जो विषय मूल्य से कम कीमत पर नहीं और

ऐसे नियमों और शर्तों पर होंगे जो अन्यथा तीसरे पक्ष के ट्रांसफरी (ट्रांसफरियों) के लिए अधिक अनुकूल नहीं हैं, बशर्ते कि:
    - *(i)* यदि ऐसा तीसरा पक्ष एचआईएएल का प्रतिस्पर्धी है, तो केवल निवेशकों की लिखित सहमति से जिसे अनुचित तरीके से रोका नहीं जाएगा और अनुरोध किए जाने के पंद्रह (15) व्यावसायिक दिनों के भीतर कोई उत्तर प्राप्त न होने पर इसे दिया गया माना जाएगा।
    - *(ii)* ऐसा तीसरा पक्ष आर्थिक रूप से मजबूत और प्रतिष्ठित पक्ष होना चाहिए, और
    - *(iii)* ऐसे तीसरे पक्ष को अनुसूची 2B में निर्धारित अनुपालन विलेख के माध्यम से इस समझौते से बंधे होने के लिए पहले से सहमत होना चाहिए।
- *(e)* यदि खंड 6.2 के अनुसार ऐसे एक सौ बीस (120) दिनों की अवधि के भीतर ऑफ़रर द्वारा ऐसा हस्तांतरण तीसरे पक्ष के ट्रांसफरी (ट्रांसफरियों) को पूरा नहीं किया जाता है, तो ऑफ़रर को इस खंड 6.2(a) से (c) की प्रत्येक आवश्यकता का फिर से अनुपालन किए बिना इस खंड 6.2 के तहत अपने शेयरों को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- *(f)* इस खंड 6.2 के अनुसार कोई भी ऑफ़र नोटिस या स्वीकृति नोटिस पहले सचिव को दिया जाएगा जो इसके बाद प्रत्येक ऑफ़री के आनुपातिक अधिकारों (pro-rata entitlements) का निर्धारण करेगा और ऑफ़रर की ओर से प्रत्येक ऑफ़री को संबंधित ऑफ़र नोटिस देगा। ऐसे ऑफ़री द्वारा विषय शेयरों को खरीदने के लिए सहमत होने या न सहमत होने की कोई भी प्रतिक्रिया भी सचिव को दी जाएगी जो इसे ऐसे अन्य ऑफ़री की ओर से ऑफ़रर को अग्रेषित करेगा।

## 6.3 शेयरधारक न रहने पर किसी निवेशक के अधिकार

शंका से बचने के लिए, इस समझौते के नियमों के अनुसार और उसके अनुसार स्थानांतरित किए जाने वाले शेयरों वाले पक्ष के इस समझौते के तहत अधिकार और दायित्व, ऐसे हस्तांतरण से पहले अर्जित किसी भी अधिकार और दायित्व के संबंध में छोड़कर, ऐसे हस्तांतरण पर समाप्त हो जाएंगे, जो निम्नलिखित के अधीन है:

- *(a)* कोई भी निदेशक या निदेशक जो किसी पक्ष द्वारा नामित किया गया है जो शेयरधारक नहीं रहता है, बिना किसी दावे या मुआवजे या भुगतान के बोर्ड से इस्तीफा दे देगा।
- *(b)* खंड 14 (गोपनीयता), खंड 17 (शासी कानून), और खंड 19 (मध्यस्थता) के प्रावधान शेयरधारक नहीं रहने वाले पक्ष सहित सभी पक्षों पर लागू होते रहेंगे।

# 7. प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश

- निवेशक, अनुकूल बाजार स्थितियों और बोर्ड के आवश्यक अनुमोदन के अधीन, वाणिज्यिक संचालन तिथि से पाँच (5) वर्षों के भीतर एचआईएएल को अपने शेयरों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) आयोजित करने का प्रयास करेंगे, जब तक कि निवेशकों द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए।

- निवेशक शेयरों की लिस्टिंग को सक्षम करने के लिए अपनी शेयरधारिता के अनुपात में अपने शेयरों की पेशकश/त्याग करने के लिए सहमत हैं।
- आईपीओ या बिक्री के लिए प्रस्ताव या लिस्टिंग से सीधे संबंधित सभी खर्च, जैसे कि लीड मैनेजर को फीस का भुगतान, ब्रोकरेज और अंडरराइटिंग, लिस्टिंग फीस, प्रिंटिंग चार्ज, रजिस्ट्रार को देय फीस और अन्य संबंधित खर्च एचआईएएल द्वारा वहन किए जाएंगे और भुगतान किए जाएंगे।
- आईपीओ की अनुमानित तिथि से दो (2) महीने के भीतर किसी भी समय एचआईएएल द्वारा तय किए गए आईपीओ के संबंध में, पक्षकार पोस्ट आईपीओ परिदृश्य में उपयुक्त माने जाने वाले किसी भी परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए इस समझौते को संशोधित करने के लिए सहमत हैं।

# 8. विकास लागत

8.1 विकास लागत

- एचआईएएल द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणन के अधीन, समापन तिथि तक राज्य प्रवर्तकों और प्रायोजकों (यदि कोई अन्य निवेशक हों तो सहित) द्वारा परियोजना के विकास से संबंधित समापन तिथि से पहले की गई सभी प्री-क्लोजिंग डेट डेवलपमेंट कॉस्ट का भुगतान एचआईएएल द्वारा राज्य प्रवर्तकों और प्रायोजकों को किया जाएगा या पूंजीकृत किया जाएगा, और विकास बजट के हिस्से के रूप में एचआईएएल द्वारा वित्तपोषित नहीं की सीमा तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी लागतों और खर्चों का भुगतान एचआईएएल द्वारा जीएमआर को किया जाएगा।
- इस समझौते के निष्पादन के नब्बे (90) दिनों के भीतर, पक्षकार एचआईएएल द्वारा किए जाने वाले विकास लागत के लिए एक बजट पर सहमत होंगे ("विकास बजट")। ऐसे विकास बजट में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की लागत शामिल होगी और इसमें एक विशिष्ट अवधि के लिए एचआईएएल द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित मदवार खर्च शामिल होंगे।
- खंड 2.2 के प्रावधानों के बावजूद, पक्षकार निम्नलिखित अनुपात में इक्विटी सदस्यता या इक्विटी के मुकाबले अग्रिम द्वारा इस विकास बजट को वित्तपोषित करेंगे: (i) प्रायोजक (यदि कोई अन्य निवेशक हों तो सहित) चौहत्तर प्रतिशत (74%); और (ii) राज्य प्रवर्तक छब्बीस प्रतिशत (26%), और ऐसा योगदान इक्विटी होल्डिंग के प्रतिशत के अनुरूप होगा।
- बोर्ड पार्टियों द्वारा की गई ऐसी सदस्यता के संबंध में नकद कॉल (Cash Calls) कर सकता है और सममूल्य पर इक्विटी शेयर जारी कर सकता है या इक्विटी के मुकाबले अग्रिम के रूप में प्राप्त धन को रख सकता है। विकास बजट से होने वाले सभी खर्च, साथ ही समापन तिथि तक परियोजना के विकास से संबंधित जीएमआर द्वारा किए गए सभी खर्च, विकास लागत का गठन करेंगे। विकास बजट से होने वाले सभी खर्च प्री-क्लोजिंग डेट डेवलपमेंट कॉस्ट होंगे और एचआईएएल द्वारा और उसके नाम पर किए जाएंगे। पक्ष इस बात से सहमत हैं कि एएआई विस्तृत परियोजना

रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की दिशा में विकास बजट की लागत के अपने हिस्से को वित्तपोषित करेगा।

8.2 निष्पादन गारंटी की जप्ती

- यदि समापन तिथि से पहले किसी भी समय, प्रायोजक परियोजना को छोड़ देते हैं, तो राज्य प्रवर्तक इस समझौते को समाप्त करने के हकदार होंगे और ऐसी समाप्ति पर, राज्य प्रवर्तक (a) खंड 10.2 में संदर्भित निष्पादन गारंटी को जब्त करने के हकदार होंगे।

- और (b) शेयरों के जारी न किए जाने की स्थिति में प्रायोजकों द्वारा इक्विटी के मुकाबले अग्रिम दी गई राशि को एचआईएएल द्वारा जब्त करवाना या यदि खंड 8.1 के अनुसार प्रायोजकों को शेयर जारी किए गए हैं, तो कुल 100/- रुपये (केवल एक सौ रुपये) के कुल प्रतिफल पर ऐसे सभी शेयरों का अधिग्रहण करना।

# 9. वित्त (FINANCE)

9.1 गैर-सहारा परियोजना वित्तपोषण (Non-Recourse Project Financing)

- पक्षकारों का इरादा है कि परियोजना को गैर-सहारा परियोजना वित्तपोषण (Non-Recourse Project Financing) के आधार पर वित्तपोषित किया जाएगा।

9.2 गारंटी (Guarantees)

- पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि शेयरों का कोई भी या सभी गिरवी रखना और/या गारंटी जिसमें प्रोजेक्ट लागत ओवररन गारंटी, किसी भी वित्तपोषण समझौते के अनुसरण में जारी गारंटी शामिल हैं, प्रायोजकों द्वारा उनके संबंधित शेयरधारिता प्रतिशत के समान अनुपात में दी जाएंगी।

9.3 अधीनस्थ ऋण

- परियोजना की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, प्रायोजक या उनके सहयोगी या अन्य निवेशक एचआईएएल के साथ आपसी सहमति से तय की गई शर्तों पर अधीनस्थ ऋण (subordinate debt) प्रदान कर सकते हैं।

# 10. परियोजना कार्यान्वयन

10.1 मौलिक सिद्धांत

- पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि परियोजना समझौतों में प्रवेश करना खंड 3.6 में निर्धारित मौलिक सिद्धांतों की पूर्ति के अधीन होगा।

10.2 निष्पादन गारंटी

- जीएमआर ने पक्षकारों के बीच सहमत फॉर्म में, गोआप (GoAP) के पक्ष में एक निष्पादन गारंटी (Performance Guarantee) प्रदान की है।
- ऐसी निष्पादन गारंटी वाणिज्यिक संचालन तिथि (Commercial Operations Date) तक प्रभावी, वैध और विधिवत रूप से नवीनीकृत रखी जाएगी।

# 11. सकारात्मक अनुबंध

11.1 वित्तीय डेटा

- *(a)* एचआईएएल खातों की सच्ची पुस्तकें और रिकॉर्ड रखेगा जिसमें जीएएपी (GAAP) के अनुसार स्थापित और प्रशासित लेखा प्रणाली के अनुसार अपने सभी व्यावसायिक लेनदेन की पूरी और सही प्रविष्टियां की जाएंगी, और जीएएपी के तहत आवश्यक सभी उचित उपार्जन (accruals) और भंडार (reserves) को अपनी पुस्तकों में अलग रखेगा।
- एचआईएएल खंड 11.1(b) से (h) में निर्धारित जानकारी और दस्तावेज प्रत्येक निवेशक को प्रदान करेगा (सिवाय उस सीमा तक जब किसी निवेशक (जैसा भी मामला हो) ने यह नोटिस दिया हो कि ऐसे प्रावधान की अब आवश्यकता नहीं है या जो शेयरधारक नहीं रहा है)।
- इस खंड 11.1(a) के तहत निवेशकों का अधिकार उपलब्ध होगा:
    - *(i)* एक प्रायोजक के संबंध में जब तक ऐसा प्रायोजक एचआईएएल के जारी और बकाया शेयरों का कम से कम 5% रखता है (पूरी तरह से क्षीण और पूरी तरह से रूपांतरित आधार पर);
    - *(ii)* राज्य प्रवर्तकों के संबंध में, जब तक राज्य प्रवर्तकों का बोर्ड पर एक (1) निदेशक हो।

- **b)** प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नब्बे (90) दिनों के भीतर, जैसे ही उपलब्ध हो, एचआईएएल के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समेकित और समेकित करने वाले बैलेंस शीट (consolidated and consolidating balance sheet), आय के विवरण (statements of income), शेयरधारक इक्विटी के विवरण और नकदी प्रवाह के विवरण की एक प्रति, उचित विवरण के साथ और पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में तथा उसके लिए आंकड़ों को तुलनात्मक रूप में दर्शाते हुए, जो एचआईएएल द्वारा चुनी गई एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त लेखा फर्म की राय के साथ हो, जिसमें यह राय दी जाएगी कि ऐसी लेखा फर्म की राय में वित्तीय विवरण जीएएपी के अनुसार तैयार किए गए हैं। ऐसे सभी वित्तीय विवरण सभी प्रमुख मामलों में पूर्ण और सही होंगे और जीएएपी के अनुरूप तैयार किए जाएंगे और यहाँ बताए गए को छोड़कर इसमें दर्शाई गई अवधि के दौरान लगातार आधार पर लागू किए जाएंगे।
- **(c)** प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में से प्रत्येक की समाप्ति के 45 दिनों के बाद, जैसे ही उपलब्ध हो, प्रत्येक तिमाही के अंत में एचआईएएल का अनसुनी (अपरिष्कृत/अनऑडिटेड) समेकित और समेकित करने वाला बैलेंस शीट

और संबंधित अनऑडिटेड आय विवरण, शेयरधारक इक्विटी के विवरण और नकदी प्रवाह के विवरण, उचित विवरण में और पिछले वित्तीय वर्ष की तुलनीय अवधियों के अंत में और उनके लिए आंकड़े दर्शाते हुए, और अवधि के लिए बजटीय आंकड़े, और जीएएपी के अनुरूप तैयार किए गए और यहाँ बताए गए को छोड़कर पूरी अवधि में लगातार आधार पर लागू किए गए।

- **(d)** प्रत्येक महीने की समाप्ति के 30 दिनों के बाद, जैसे ही उपलब्ध हो, ऐसे महीने के अंत में एचआईएएल का ऑडिट किया गया बैलेंस शीट और संबंधित ऑडिट किए गए आय विवरण, शेयरधारक इक्विटी के विवरण और नकदी प्रवाह के विवरण, उचित विवरण में और जीएएपी के अनुरूप तैयार किए गए और पूरी अवधि में लगातार आधार पर लागू किए गए।
- **(e)** खंड 11.1(a), 11.1(b) और 11.1(c) में उल्लिखित प्रत्येक वित्तीय विवरण के साथ प्रबंधन द्वारा एचआईएएल के संचालन के परिणामों का एक संक्षिप्त वर्णनात्मक विवरण तैयार किया जाएगा, जिसमें एचआईएएल के व्यवसाय और एचआईएएल की वित्तीय स्थिति में प्रासंगिक प्रवृत्तियों की व्याख्या शामिल होगी।
- **(f)** प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिन पहले, जैसे ही उपलब्ध हो, अगले वित्तीय वर्ष के लिए एचआईएएल की वार्षिक व्यापार योजना, जिसमें (लेकिन सीमित नहीं) नकदी प्रवाह अनुमान, परिचालन बजट (मासिक गणना), और अगले तीन लगातार वित्तीय वर्षों के लिए एक व्यापार योजना, और पूर्ववर्ती में से किसी भी समय-समय पर संशोधन शामिल हैं।
- **(g)** तुरंत, एचआईएएल के संचालन के परिणामों, वित्तीय स्थिति, उपयोग, मामलों या संभावनाओं के बारे में कोई भी अतिरिक्त जानकारी और वित्तीय डेटा, जिसमें बिना किसी सीमा के नकदी प्रवाह विश्लेषण और अनुमान शामिल हैं, जो एचआईएएल को उपलब्ध हैं और जो कोई भी निवेशक उचित रूप से अनुरोध कर सकता है।
- **(h)** एचआईएएल के किसी भी ऋणदाता (Lenders) को प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक परियोजना से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करना।

*11.2 पहुँच (Access)*

- एचआईएएल निवेशकों (जैसा भी मामला हो) और उसके प्रतिनिधियों को उचित व्यावसायिक घंटों के दौरान एचआईएएल की सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, पुस्तकों, अनुबंधों, प्रतिबद्धताओं, रिपोर्टों और रिकॉर्ड तक पूरी पहुँच प्रदान करेगा, और इस समझौते के अर्थ के भीतर एचआईएएल की संपत्तियों, परिसंपत्तियों और व्यवसाय के संबंध में वे सभी दस्तावेज़, रिकॉर्ड और जानकारी और उससे संबंधित किसी भी कार्य पत्र की प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा, जिनका समय-समय पर कोई भी निवेशक उचित अनुरोध करे। एचआईएएल प्रत्येक निवेशक को एचआईएएल के व्यवसाय के मामलों के बारे में सामान्य रूप से अवगत कराएगा। इस खंड 11.2 के तहत निवेशकों का अधिकार उपलब्ध होगा:
    - **(i)** एक प्रायोजक के संबंध में, जब तक ऐसा प्रायोजक एचआईएएल के जारी और बकाया शेयरों का कम से कम 5% रखता है (पूरी तरह से क्षीण और पूरी तरह से रूपांतरित आधार पर); और
    - **(ii)** राज्य प्रवर्तक के संबंध में, जब तक बोर्ड पर राज्य प्रवर्तकों का एक (1) निदेशक हो।

*11.3 परामर्श अधिकार*

- एचआईएएल प्रत्येक निवेशक (जैसा भी मामला हो) को महत्वपूर्ण व्यावसायिक मुद्दों और कॉर्पोरेट कार्यों पर एचआईएएल के प्रबंधन से परामर्श करने और सलाह देने का अधिकार प्रदान करेगा, जिसमें प्रबंधन की प्रस्तावित वार्षिक व्यापार योजनाएं शामिल हैं, और एचआईएएल प्रबंधन को ऐसे परामर्श और सलाह के लिए और इस तरह की योजनाओं को प्राप्त करने में प्रगति की समीक्षा के लिए प्रत्येक तिमाही के दौरान पारस्परिक रूप से सहमत समय पर नियमित रूप से निवेशकों (जैसा भी मामला हो) के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए प्रोत्साहित करेगा। निवेशकों (जैसा भी मामला हो) को समय-समय पर एचआईएएल के प्रबंधन को प्रस्ताव या सुझाव प्रस्तुत करने का अधिकार होगा, और एचआईएएल प्रबंधन को प्रस्तुतीकरण के बाद उचित समय के भीतर निवेशकों (जैसा भी मामला हो) के साथ ऐसे प्रस्तावों या सुझावों पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

*11.4 कॉर्पोरेट अस्तित्व*

- एचआईएएल हर समय अपने कॉर्पोरेट अस्तित्व को सुरक्षित और पूर्ण बल और प्रभाव में रखेगा, और अपने व्यवसायों के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अपने सभी अधिकारों और फ्रैंचाइज़ी को बनाए रखेगा।

*11.5 करों का भुगतान*

- एचआईएएल किसी भी जुर्माने या उस पर ब्याज से पहले, उस पर या उसकी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्तियों पर लगाए गए सभी करों, शुल्कों, लेवी और अन्य आय करों का भुगतान करेगा, और सभी देनदारियों का भुगतान करेगा जिसमें बिना किसी सीमा के, श्रम, सेवा, सामग्री और आपूर्ति के दावे शामिल हैं, जो देय और भुगतान योग्य हो गए हैं और जो कानून द्वारा एचआईएएल की किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति पर एक ग्रहणाधिकार (lien) बन गए हैं या बन सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे किसी भी शुल्क या दावे का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है यदि उचित कार्यवाही द्वारा सद्भावनापूर्वक इसका विरोध किया जाता है और लगन से संचालित किया जाता है और यदि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों द्वारा आवश्यक ऐसे भंडार या अन्य उचित प्रावधान, यदि कोई हो, इसके लिए किए गए हैं।

*11.6 संपत्तियों का रख-रखाव; बीमा*

- एचआईएएल HIAL के व्यवसाय में उपयोग या संचालन की जाने वाली सभी संपत्तियों को अच्छी मरम्मत, कार्यशील आर्डर और स्थिति में रखेगा या बनाए रखा जाएगा और समय-समय पर इसके सभी उचित मरम्मत, नवीनीकरण और प्रतिस्थापन करेगा या करवाएगा। वाणिज्यिक संचालन तिथि (Commercial Operations Date) के बाद एचआईएएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ और बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि के लिए, सभी जोखिमों के खिलाफ एचआईएएल की उड़ानों और सभी संपत्तियों और परिसंपत्तियों का बीमा करेगा और बीमा बनाए रखेगा।

*11.7 एचआईएएल का अनुबंध (HIAL's Covenant)*

- एचआईएएल खंड 11.1 से 11.6 में निहित प्रावधानों को पूरा करेगा।

12. प्रस्तुति और वारंटी

*12.1 प्रायोजकों के प्रतिनिधित्व और वारंटी*

- प्रायोजक राज्य प्रवर्तकों और एचआईएएल को प्रतिनिधित्व और वारंटी देते हैं कि:
    - **(a)** इस समझौते की तारीख के रूप में, प्रत्येक प्रायोजक बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट परियोजना को शुरू करने के लिए मानदंडों का पालन करना जारी रखता है जैसे न्यूनतम शुद्ध मूल्य, वार्षिक कारोबार और नकदी उपार्जन की आवश्यकताएं।
    - **(b)** प्रायोजकों द्वारा इस समझौते का निष्पादन या प्रदर्शन प्रायोजकों द्वारा दर्ज किए गए किसी अन्य समझौते या अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व का उल्लंघन या विरोध नहीं करता है।
    - **(c)** इस समझौते में प्रायोजकों द्वारा राज्य प्रवर्तकों को प्रदान की गई सभी जानकारी, डेटा और दस्तावेज़ सभी महत्वपूर्ण मामलों में सत्य और सही हैं।

*12.2 पक्षों के प्रतिनिधित्व और वारंटी (Representations & Warranties of Parties)*

- प्रत्येक पक्ष दूसरे को प्रतिनिधित्व और वारंटी देता है कि:
    - **(a)** यह अपने संगठन के देश के कानूनों के तहत विधिवत संगठ□□ और वैध रूप से मौजूद है और इसके पास वर्तमान में चलाए जा रहे व्यवसाय को चलाने की सभी आवश्यक शक्ति और अधिकार हैं।
    - **(b)** यह समझौता इसके वैध, कानूनी रूप से बाध्यकारी और प्रवर्तनीय दायित्व का गठन करता है।
    - **(c)** यह ऐसे और कार्य करेगा, ऐसे और उपकरण और दस्तावेज़ निष्पादित और वितरित करेगा और आम तौर पर इस समझौते में की गई परिकल्पित लेनदेन को पूरा करने के लिए उचित रूप से आवश्यक अन्य सभी कार्य करेगा।
    - **(d)** इसने इस समझौते और इस समझौते में निहित लेनदेन के निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन को अधिकृत या अनुमति देने के लिए अपने लिए लागू, कॉर्पोरेट या अन्य आवश्यक कार्रवाई की है।
    - **(e)** इसके द्वारा इस समझौते का निष्पादन, वितरण या प्रदर्शन (i) ज्ञापन या एसोसिएशन के अनुच्छेदों के उल्लंघन या उल्लंघन का गठन नहीं करेगा, या एएआई के मामले में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (Airports Authority of India Act, 1994) का, जैसा भी मामला हो (ii) इसके किसी भी दायित्व के प्रदर्शन के उल्लंघन या चूक के रूप में असंगत या गठन नहीं करेगा, या (iii) किसी भी कानून, विनियमन, प्रशासनिक आदेश या न्यायिक आदेश का उल्लंघन नहीं करेगा।

- **(f)** किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या आयोग, घरेलू या विदेशी के सामने, पहले या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, मुकदमा, कार्यवाही, जाँच लंबित नहीं है, जो यहाँ दिए गए दायित्वों को पूरा करने की किसी भी क्षमता को महत्वपूर्ण और प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।

## 13. अवधि और समाप्ति (TERM AND TERMINATION)

### *13.1 अवधि (Term)*

- **(a)** यह समझौता इसके निष्पादन पर प्रभावी होगा और इस तारीख से तब तक पूर्ण बल और प्रभाव में रहेगा जब तक कि इसके नियमों के अनुसार इसे समाप्त नहीं किया जाता।
- **(b)** (i) किसी भी कारण से प्रायोजकों द्वारा 5% से कम शेयरधारिता प्रतिशत रखने की स्थिति में, या (ii) किसी भी कारण से राज्य प्रवर्तकों द्वारा 5% से कम शेयरधारिता प्रतिशत रखने की स्थिति में, यह समझौता समाप्त हो जाएगा। बशर्ते कि खंड 5.1(b) के तहत राज्य प्रवर्तकों के अधिकार इस तरह की समाप्ति से बचे रहेंगे।
- **(c)** यह समझौता केवल एमएएचबी (MAHB) के संबंध में समाप्त हो जाएगा यदि एमएएचबी कम से कम 5% शेयरधारिता प्रतिशत रखना बंद कर देता है।
- **(d)** यह समझौता जीएमआर या राज्य प्रवर्तक द्वारा तीसरे पक्ष को तीस (30) दिन का नोटिस देकर रियायत समझौते (Concession Agreement) की समाप्ति की स्थिति में भी समाप्त किया जा सकता है।

### *13.2 दिवालियापन की घटना (Insolvency Event)*

- इस खंड 13 के प्रयोजनों के लिए, किसी पक्ष के संबंध में "दिवालियापन की घटना" (Insolvency Event) का अर्थ निम्नलिखित में से एक या अधिक घटनाएँ होंगी: (a) उसकी संपत्ति पर एक रिसीवर (डिबेंचर ट्रस्टियों और सुरक्षा एजेंटों को छोड़कर) नियुक्त किया गया है, और ऐसी नियुक्ति ऐसी नियुक्ति के साठ (60) दिनों के भीतर खारिज या वापस नहीं ली गई है या ऐसा रिसीवर नहीं हटाया गया है, जैसा भी मामला हो; या (b) इसे भंग या विघटित कर दिया जाता है; या (c) स्वेच्छा से समापन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है; (d) समापन याचिका में एक परिसमापक या अनंतिम परिसमापक नियुक्त किया गया है या इसके खिलाफ समापन याचिका दायर की गई है जिसे ऐसी नियुक्ति के साठ (60) दिनों के भीतर खारिज या स्थगित नहीं किया जाता है। शंका से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एएआई या उसकी संपत्ति के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (Airports Authority of India Act, 1994) के तहत महा निदेशक (DG) द्वारा किसी भी शक्तियों का प्रयोग, जिसमें इसका पुनर्गठन शामिल है लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है, दिवालियापन की घटना नहीं होगी।

*13.3 प्रायोजकों की दिवालियापन घटना के परिणाम (Consequences of Insolvency Event of the Sponsors)*

- **(a)** यदि कोई प्रायोजक किसी दिवालियापन की घटना से ग्रस्त होता है ("प्रायोजक प्रभावित पक्ष") और संबंधित अदालत या न्यायिक प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी (यदि कोई हो) के अधीन, अन्य प्रायोजक नब्बे (90) दिनों की अवधि के भीतर या तो (i) एचआईएएल में प्रायोजक प्रभावित पक्ष और उसके सहयोगियों द्वारा रखे गए शेयरों का अधिग्रहण करेगा, या (ii) किसी तीसरे पक्ष की पहचान करेगा, जो राज्य प्रवर्तक को उचित रूप से स्वीकार्य हो, जो ऐसे शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए तैयार हो, बशर्ते कि यदि राज्य प्रवर्तकों ने सूचित किए जाने के तीस (30) दिनों के भीतर ऐसे प्रस्तावित तीसरे पक्ष को मंजूरी नहीं दी है या अस्वीकार नहीं किया है, तो इस प्रकार प्रस्तावित तीसरे पक्ष को अनुमोदित माना जाएगा। ऐसे शेयरों के लिए खरीद मूल्य उचित बाजार मूल्य (Fair Market Value) होगा। प्रायोजक प्रभावित पक्ष एतद्द्वारा सहमत है कि दिवालियापन की घटना होने पर वह इस खंड 13.3 में परिकल्पित तरीके से अपने शेयरों को बेचने के लिए बाध्य होगा।
- **(b)** इस स्थिति में कि अन्य प्रायोजक ऐसे शेयरों को प्राप्त नहीं करने का विकल्प चुनते हैं या प्रायोजक प्रभावित पक्ष की दिवालियापन घटना की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर ऐसे शेयरों का अधिग्रहण करने के इच्छुक किसी तीसरे पक्ष की पहचान करने में विफल रहते हैं, राज्य प्रवर्तक यह मांग करने के हकदार होंगे कि ऐसे शेयरों को राज्य प्रवर्तकों (या AAI) या राज्य प्रवर्तकों द्वारा नामित किसी तीसरे पक्ष या पक्षों को उचित बाजार मूल्य पर बेचा जाए, और प्रायोजक प्रभावित पक्ष और सहयोगी ऐसे शेयरों को बेचने के लिए बाध्य होंगे, और राज्य प्रवर्तक उपर्युक्त साठ (60) दिनों की नोटिस अवधि की समाप्ति के साथ या उसके भीतर साठ (60) दिनों के भीतर प्रायोजक प्रभावित पक्ष के शेयरों की बिक्री/खरीद को पूरा करने के लिए आवश्यक होंगे।

*13.4 प्रायोजकों का महत्वपूर्ण उल्लंघन और इसके परिणाम (Sponsors' Material Breach and its Consequences)*

- **(a)** यदि कोई प्रायोजक इस समझौते के महत्वपूर्ण उल्लंघन में है ("डिफ़ॉल्टिंग स्पॉन्सर") और तुरंत इसे ठीक करने में विफल रहता है, तो कोई अन्य पक्ष (प्रायोजक नहीं होना चाहिए) ऐसे डिफ़ॉल्टिंग स्पॉन्सर को एक नोटिस दे सकता है (अन्य पक्षों में से प्रत्येक को प्रतियों के साथ) जिसमें ऐसे नोटिस की सेवा के तीस (30) दिनों के भीतर ऐसे महत्वपूर्ण उल्लंघन को सुधारने की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा महत्वपूर्ण उल्लंघन इस प्रकार ठीक नहीं किया जाता है, तो (i) अन्य गैर-डिफ़ॉल्टिंग प्रायोजक ("अन्य प्रायोजक") के पास साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर, या तो (i) डिफ़ॉल्टिंग स्पॉन्सर और उसके सहयोगियों के शेयरों का अधिग्रहण करने का अधिकार होगा, या (ii) राज्य प्रवर्तक को उचित रूप से स्वीकार्य किसी तीसरे पक्ष की पहचान करने का अधिकार होगा जो ऐसे शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए तैयार हो, बशर्ते कि यदि राज्य प्रवर्तकों ने सूचित किए जाने के तीस (30) दिनों के भीतर ऐसे प्रस्तावित तीसरे पक्ष को मंजूरी नहीं दी है या अस्वीकार नहीं किया है, तो इस प्रकार प्रस्तावित तीसरे पक्ष को अनुमोदित माना जाएगा। डिफ़ॉल्टिंग स्पॉन्सर और इसके सहयोगी उपर्युक्त के रूप में समान बेचने के

लिए बाध्य होंगे। ऐसे शेयरों की कीमत (i) अंकित मूल्य (par value) और (ii) उचित बाजार मूल्य (Fair Market Value) में से जो भी कम हो, होगी।

- **(b)** इस स्थिति में कि अन्य प्रायोजक खंड 13.4 (a) के अनुसार किसी तीसरे पक्ष को डिफ़ॉल्टिंग स्पॉन्सर के शेयरों को नहीं खरीदते हैं, तो राज्य प्रवर्तक, खंड 13.4 (a) में निर्धारित साठ (60) दिनों की समाप्ति के बाद पंद्रह (15) व्यावसायिक दिनों के भीतर दिए गए नोटिस द्वारा, निम्नलिखित में से सभी या किसी भी अधिकार का उपयोग करने के हकदार होंगे: (i) यह अपेक्षा करना कि डिफ़ॉल्टिंग स्पॉन्सर अपने और अपने सहयोगियों द्वारा रखे गए सभी शेयरों को राज्य प्रवर्तकों या राज्य प्रवर्तकों द्वारा बताए गए किसी तीसरे पक्ष या पक्षों को अंकित मूल्य के पचहत्तर प्रतिशत (75%) या हस्तांतरण की तिथि पर उचित बाजार मूल्य के पचहत्तर प्रतिशत (75%), जो भी कम हो, पर बेचे, और डिफ़ॉल्टिंग स्पॉन्सर और इसके सहयोगी उपर्युक्त के अनुसार समान बेचने के लिए बाध्य होंगे; (ii) यह अपेक्षा करना कि एचआईएएल किसी भी परियोजना समझौते को समाप्त कर दे जिसमें डिफ़ॉल्टिंग स्पॉन्सर और/या इसके सहयोगी एक पक्ष हैं; (iii) यह सुनिश्चित करना कि डिफ़ॉल्टिंग स्पॉन्सर द्वारा नामित निदेशक तुरंत प्रभाव से निदेशक के रूप में अपना इस्तीफा दे दें।
- **(c)** खंड 13.4 और खंड 13.5 के प्रयोजन के लिए, प्रायोजकों के संदर्भ में एचआईएएल में शेयर रखने वाले अन्य निवेशक शामिल होंगे।

*13.5 राज्य प्रवर्तक का महत्वपूर्ण उल्लंघन और इसके परिणाम*

- **(a)** यदि कोई राज्य प्रवर्तक इस समझौते के महत्वपूर्ण उल्लंघन में है ("डिफ़ॉल्टिंग स्टेट प्रमोटर") और तुरंत इसे ठीक करने में विफल रहता है, तो कोई अन्य पक्ष (राज्य प्रवर्तक नहीं होना चाहिए) ऐसे डिफ़ॉल्टिंग स्टेट प्रमोटर को एक नोटिस दे सकता है (अन्य पक्षों में से प्रत्येक को प्रतियों के साथ) जिसमें ऐसे नोटिस की सेवा के तीस (30) दिनों के भीतर ऐसे महत्वपूर्ण उल्लंघन को सुधारने की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा महत्वपूर्ण उल्लंघन इस प्रकार ठीक किया जाता है, तो: (i) फिर गैर-डिफ़ॉल्टिंग स्टेट प्रमोटर ("अन्य राज्य प्रवर्तक") साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर, डिफ़ॉल्टिंग स्टेट प्रमोटर के सभी शेयरों का अधिग्रहण करेगा।
- **(b)** इस स्थिति में कि अन्य राज्य प्रवर्तक खंड 13.5(a) के अनुसार डिफ़ॉल्टिंग स्टेट प्रमोटर के शेयर नहीं खरीदते हैं, तो कोई भी प्रायोजक राज्य प्रवर्तकों से निम्नलिखित की अपेक्षा करने का हकदार होगा: (i) ऐसे प्रायोजक और इसके सहयोगियों द्वारा रखे गए सभी शेयरों को उचित बाजार मूल्य या अंकित मूल्य, जो भी अधिक हो, पर खरीदना; (ii) वित्तपोषण समझौतों के तहत एचआईएएल को ऋणदाता के रूप में ऐसे प्रायोजक (या यदि लागू हो तो इसके सहयोगियों) द्वारा किए गए किसी भी उत्कृष्ट दायित्व से मुक्त करना; (iii) खंड 9.3 की शर्तों के तहत एचआईएएल को ऐसे प्रायोजकों द्वारा अग्रिम दिए गए किसी भी अधीनस्थ ऋण की प्रतिपूर्ति करना; और (iv) एचआईएएल द्वारा किए गए किसी भी उधार के संबंध में किसी भी ऋणदाता को ऐसे प्रायोजक (या यदि लागू हो तो इसके सहयोगी) द्वारा भुगतान की गई किसी भी राशि की प्रतिपूर्ति करना, और यह कि राज्य प्रवर्तक ऐसे उधार के संबंध में किसी भी उत्कृष्ट गारंटी से ऐसे प्रायोजक (या यदि लागू हो

तो इसके सहयोगी) को मुक्त करते हैं और जहां लागू हो, निष्पादन गारंटी (Performance Guarantee) को मुक्त करते हैं।

- **(c)** एचआईएएल और पक्ष इस आशय को दर्ज करते हैं कि वे प्रायोजकों या उनके संबंधित सहयोगियों के साथ परियोजना समझौतों में उचित सक्षम प्रावधानों को शामिल करने का प्रयास करेंगे (खंड 13.5 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए)।

*13.6 समाप्ति के परिणाम*

- खंड 2.3 या इस खंड 13 के प्रावधानों के अनुसार इस समझौते की कोई भी समाप्ति बिना किसी पूर्वjudice के होगी:
  - **(a)** किसी भी अर्जित दायित्व और किसी भी कार्रवाई या उपाय के अधिकार के जो किसी भी पक्ष को ऐसे पूर्व में अर्जित हो चुके हैं;
  - **(b)** खंड 14 (गोपनीयता), खंड 17 (शासी कानून), और खंड 19 (मध्यस्थता) के प्रावधान उस पक्ष सहित सभी पक्षों पर लागू होते रहेंगे, जिसके खिलाफ समाप्ति प्रावधान लागू किए गए हैं।
- खंड 13.1(b) के अनुसार इस समझौते की समाप्ति पर, बोर्ड एचआईएएल के स्वैच्छिक समापन के विकल्प सहित शेयरधारकों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी विकल्पों पर विचार करेगा।

*13.7 अनन्य उपाय (Exclusive Remedies)*

- पक्ष सहमत हैं और वचन देते हैं कि उनमें से प्रत्येक इस खंड 13.7 के प्रावधानों को लागू करने और पूर्ण प्रभाव देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। पक्ष सहमत हैं कि इस समझौते में स्पष्ट रूप से बताए गए उपाय इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या इसके संबंध में एक-दूसरे के प्रति उल्लंघन के लिए पक्षों के एकमात्र और अनन्य उपाय होंगे।

*13.8 परिणामी नुकसान के लिए दायित्व*

*इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, किसी भी स्थिति में कोई भी पक्ष, उसके अधिकारी, कर्मचारी या एजेंट किसी भी अन्य पक्ष के लिए (अनुबंध, अपकृत्य (tort), वारंटी या अपकृत्य जिसमें लापरवाही और सख्त या पूर्ण दायित्व या वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन शामिल है) इस समझौते से उत्पन्न होने या इसके संबंध में किसी अन्य पक्ष द्वारा उठाए गए किसी भी परिणामी नुकसान (Consequential Loss) के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। प्रत्येक पक्ष किसी अन्य पक्ष, अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों पर ऐसे परिणामी नुकसान के लिए मुकदमा नहीं करने का उपक्रम करता है।*

- इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, "परिणामी नुकसान" (Consequential Loss) का अर्थ किसी भी अप्रत्यक्ष या परिणामी नुकसान से है (जिसमें उत्पादन का नुकसान, लाभ का नुकसान, राजस्व का नुकसान, उपयोग का नुकसान, अनुबंधों के तहत देनदारी का नुकसान या तीसरे पक्ष के लिए देयता शामिल है) जो ऐसे उल्लंघन से उत्पन्न होता है और चाहे वह पक्ष उल्लंघन करता है, जानता है या उसे पता होना चाहिए था कि इस तरह का अप्रत्यक्ष या परिणामी नुकसान इस तरह के उल्लंघन के

परिणामस्वरूप भुगतना पड़ सकता है और इसमें समय-समय पर पीड़ित पक्ष के ऋणदाताओं को किसी भी राशि का भुगतान या पुनर्भुगतान (या उसका कोई हिस्सा) शामिल है, लेकिन इसमें देय पक्ष की लापरवाही, इसके अधिकारियों, कर्मचारियों या एजेंटों के कारण होने वाली मृत्यु या व्यक्तिगत चोट शामिल नहीं है।

14. गोपनीयता, गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता

*14.1 सूचना गोपनीयता*

- सभी पक्ष स्वीकार करते हैं कि एक घटक द्वारा दूसरे को या एचआईएएल को प्रदान की गई कोई भी और सभी व्यावसायिक और तकनीकी जानकारी और डेटा को गोपनीय माना जाएगा और ऐसी जानकारी और डेटा प्राप्त करने वाली पार्टी किसी भी समय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी जानकारी और डेटा को किसी भी व्यक्ति, फर्म को प्रकट नहीं करेगी या इसका उपयोग करेगी, सिवाय इस समझौते की खोज के संबंध में प्रासंगिक अन्य पक्षों की पूर्व लिखित सहमति के। सहमति एचआईएएल को गोपनीयता के इस दायित्व से बंधे होने का कारण बनेगी और घटकों में से किसी एक द्वारा इसे प्रदान की गई जानकारी और डेटा के संबंध में कोई प्रकटीकरण नहीं होगा। इस खंड 14 में दायित्व इस समझौते की समाप्ति के 5 (पाँच) वर्षों तक जीवित रहेंगे।

*14.2 अपवाद*

- गोपनीयता के प्रति दायित्व, हालांकि, निम्नलिखित तक विस्तारित नहीं होगा: (a) ऐसी जानकारी और डेटा जो सार्वजनिक डोमेन में है या कानून द्वारा प्रकट किया जाना आवश्यक है, जैसा कि सरकार या किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा अनुरोध किया गया है; (b) किसी तीसरे पक्ष को अपने शेयरों के किसी भी प्रस्तावित हस्तांतरण के संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा कोई प्रकटीकरण (ऐसे तीसरे पक्ष से उचित और बाध्यकारी गोपनीयता उपक्रम प्राप्त करने के अधीन); (c) सहमति, परमिट और अनुमोदन प्राप्त करने के उद्देश्य से GOI और/या GoAP या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण को राज्य प्रवर्तकों और प्रायोजकों द्वारा किया जाने वाला कोई भी प्रकटीकरण; और (d) परियोजना के वित्तपोषण के प्रयोजनों के लिए संभावित फाइनेंसरों, प्रबंधकों, अंडरराइटरों, वाणिज्यिक बैंकों को कोई भी प्रकटीकरण।

*14.3 बाध्यकारी प्रकृति*

- प्रत्येक पक्ष यह वचन देता है कि वह और उसके सहयोगी और उसके नामित और प्रत्येक पक्ष के कर्मचारी (i) ऐसे प्रत्येक सहयोगी और नामित का कर्मचारी, किसी भी समय अवधि की सीमा के बिना, इस समझौते की अवधि के दौरान या उसके समाप्त होने के बाद, किसी भी तीसरे पक्ष को (किसी पक्ष द्वारा अपने अधिकारों का अभ्यास करने और यहां दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है या कानून द्वारा आवश्यक हो सकता है) प्रकट या संवाद नहीं करेगा या अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए एचआईएएल या किसी अन्य पक्ष के निजी मामलों के बारे में किसी भी जानकारी का उपयोग नहीं करेगा।

14.4 सार्वजनिक घोषणा

- इस समझौते की विषय-वस्तु या यहाँ परिकल्पित किसी भी लेनदेन के संबंध में अन्य पक्षों की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना कोई भी सार्वजनिक घोषणा या प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा।
- (सिवाय इसके कि कानून या किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा आवश्यक हो, ऐसी स्थिति में घोषणा का दायरा उन मामलों तक सीमित होगा जिनका खुलासा करना आवश्यक है और प्रकटीकरण करने वाली पक्ष, यदि व्यावहारिक हो, तो ऐसी घोषणा की शर्तों और समय के संबंध में अन्य पक्षों से परामर्श करेगी)।
- बशर्ते कि उपर्युक्त के बावजूद, एचआईएएल अपनी गतिविधियों या संचालन के संबंध में ऐसी सार्वजनिक घोषणाएँ या बयान दे सकता है जो उचित समझे जाते हैं।

15. छूट

*15.1 सहमति द्वारा छूट*

- इस समझौते के किसी भी नियम या प्रावधान की छूट, या इसके तहत दी गई सहमति, केवल तभी प्रभावी होगी जब वह लिखित रूप में दी गई हो और छूट देने वाली या सहमति देने वाली पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित हो।
- और फिर केवल उसी उदाहरण के लिए और उस उद्देश्य के लिए हो जिसके लिए वह दी गई है।
- पक्षों की स्पष्ट लिखित सहमति के अलावा इस समझौते के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन को माफ या डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा।

*15.2 विफलता या देरी*

- इस समझौते के तहत किसी भी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का उपयोग करने में किसी भी पक्ष की ओर से कोई विफलता या देरी उसके छूट के रूप में काम नहीं करेगी।
- और न ही ऐसे किसी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का कोई भी एकल या आंशिक उपयोग किसी अन्य या आगे के उपयोग या किसी अन्य अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार के उपयोग को रोकेगा।

*15.3 संचयी अधिकार*

*यहाँ प्रदान किए गए अधिकार और उपाय कानून द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अधिकार या उपाय के साथ संचयी हैं और अनन्य नहीं हैं।*

*15.4 संप्रभु उन्मुक्ति*

- प्रत्येक राज्य प्रवर्तक एतद्द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:
    - सहमति देता है कि इस समझौते का इसके द्वारा निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन निजी और वाणिज्यिक कृत्यों का गठन करता है न कि सार्वजनिक या सरकारी कृत्यों के रूप में;

- सहमति देता है कि यदि इस समझौते या इस समझौते द्वारा परिकल्पित किसी भी लेनदेन के संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा इसके या इसकी परिसंपत्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही लाई जाती है, तो ऐसी कार्यवाही, निष्पादन, कुर्की या अन्य कानूनी प्रक्रिया से कोई भी उन्मुक्ति, संप्रभु या अन्य, इसके द्वारा या इसकी ओर से या इसकी किसी भी परिसंपत्ति के संबंध में दावा नहीं की जाएगी; और
- इस समझौते के तहत या इसके संबंध में लाई गई किसी भी कार्यवाही के संबंध में संप्रभु या अन्यथा उन्मुक्ति के ऐसे किसी भी अधिकार को छोड़ता है जो इसके पास अब है या भविष्य में प्राप्त कर सकता है और / या आनंद उठा सकता है।

16. नोटिस

*16.1 विवरण*

- इस समझौते द्वारा परिकल्पित मामलों के तहत या उनके संबंध में दिया गया या किया गया कोई भी नोटिस, अनुरोध, मांग या अन्य संचार लिखित रूप में होगा और व्यक्तिगत रूप से वितरित किया जाएगा या पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा या फ़ैक्स या कूरियर द्वारा भेजा जाएगा:
- **गोआप (GoAP) के मामले में:**
  - जे-ब्लॉक, एपी गवर्नमेंट सचिवालय
  - हैदराबाद-500 022
  - फैक्स नंबर (+91-40) 2345 0104
  - ध्यान दें: सचिव, परिवहन, सड़कें और भवन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार
- **एएआई (AAI) के मामले में:**
  - राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली - 110 003
  - फैक्स नंबर (+91-11) 2463 2990
  - ध्यान दें: अध्यक्ष (Chairman)
- **एचआईएएल (HIAL) के मामले में:**
  - जे-ब्लॉक, एपी गवर्नमेंट सचिवालय
  - हैदराबाद-500 022
  - फैक्स नंबर (040) 2345 0104
  - ध्यान दें: सचिव, परिवहन, सड़कें और भवन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार
- **जीएमआर (GMR) के मामले में:**
  - जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
  - 6-3-866/1/जी3, ग्रीन लैंड्स, बेगमपेट, हैदराबाद, भारत
  - फैक्स नंबर (+91-040) 2341 0184
  - ध्यान दें: निदेशक, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
- **एमएएचबी (MAHB) के मामले में:**
  - मलेशियन एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स बर्हद

    - प्रधान कार्यालय एमएबी, सुल्तान अब्दुल अजीज शाह एयरपोर्ट, 47200 सुबांग, सेलंगोर दारुल एहसान, मलेशिया
    - फैक्स नंबर
    - ध्यान दें: अध्यक्ष (Chairman)
- **और यह माना जाएगा कि इसे विधिवत रूप से दिया गया या बनाया गया है:**
    - **(a)** यदि व्यक्तिगत रूप से वितरित किया जाता है, तो संबंधित पक्ष के पते पर वितरण होने पर;
    - **(b)** यदि पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, तो पोस्टिंग के सात (7) दिन बाद;
    - **(c)** यदि फैक्स द्वारा भेजा जाता है, तो प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता से इस बात की पुष्टि प्राप्त होने पर कि फैक्स प्राप्त हो गया है;
    - **(d)** यदि कूरियर द्वारा भेजा जाता है, तो प्रेषण की तारीख के चार (4) दिन बाद।

*16.2 पता परिवर्तन*

- कोई भी पक्ष यहाँ दिए गए प्रावधान के अनुसार खंड 16.1 के प्रयोजनों के लिए अपने नाम, प्रासंगिक प्राप्तकर्ता, पते या फैक्स नंबर में बदलाव के बारे में अन्य पक्षों को सूचित कर सकता है.

17. लागू कानून

यह समझौता भारतीय गणराज्य के कानूनों के अनुसार समझा और लागू किया जाएगा। खंड 19 के अधीन, हैदराबाद की अदालतों को किसी भी अंतरिम राहत प्रदान करने और किसी भी अवार्ड को लागू करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।

18. प्रकीर्ण / अन्य प्रावधान

*18.1 संबंध*

इस अनुबंध में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें शामिल पक्षों के बीच साझेदारी का गठन करता हो।

*18.2 पृथकरणीयता*

यदि इस समझौते का कोई भी प्रावधान, जिसमें कोई वाक्यांश, वाक्य, खंड, धारा या उप-धारा शामिल है, किसी भी कारण से अमान्य, अप्रभावी या अप्रवर्तनीय है, तो ऐसी परिस्थितियों का यह प्रभाव नहीं होगा कि प्रश्नगत प्रावधान किसी अन्य मामले या परिस्थिति में अमान्य, अप्रभावी या अप्रवर्तनीय हो जाए, या इसमें शामिल कोई अन्य प्रावधान किसी भी हद तक अमान्य, अप्रभावी या अप्रवर्तनीय हो जाए।

*18.3 संपूर्ण समझौता*

यह समझौता और इसके साथ संलग्न अनुसूचियां इसके विषय वस्तु के संबंध में इसमें शामिल पक्षों के बीच संपूर्ण समझौते का गठन करती हैं।

*18.4 विशिष्ट निष्पादन*

पक्षकार एतद्द्वारा यह स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि इस समझौते के तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफलता के कारण किसी पक्षकार या उनके उत्तराधिकारियों, व्यक्तिगत प्रतिनिधियों, या समनुदेशितियों (assigns) को होने वाली क्षति को धन में मापना असंभव है और इसलिए वे सहमत हैं कि इस समझौते की शर्तें विशिष्ट रूप से प्रवर्तनीय होंगी। यदि कोई भी पक्षकार या व्यक्तिगत प्रतिनिधि, या समनुदेशिती इसके प्रावधानों को विशिष्ट रूप से लागू करने के लिए कोई कार्रवाई या कार्यवाही शुरू करता है, तो वह पक्षकार जिसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई या कार्यवाही लाई जाती है (i) एतद्द्वारा ऐसे दावे या बचाव को छोड़ता है कि ऐसे पक्षकार या ऐसे व्यक्तिगत प्रतिनिधि के पास कानून के तहत पर्याप्त उपाय है, और (ii) एतद्द्वारा यह पुष्टि करता है कि वह ऐसी किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही में यह दावा या बचाव प्रस्तुत नहीं करेगा कि कानून के तहत ऐसा उपाय मौजूद है।

*18.5 संशोधन*

इस समझौते में तब तक कोई संशोधन, परिवर्तन या फेरबदल नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस समझौते का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने वाला लिखित दस्तावेज न हो और पक्षों द्वारा उस पर हस्ताक्षर न किए गए हों। पक्षकार एतद्द्वारा सहमत हैं कि निष्पादन के बाद वे रियायत समझौते (Concession Agreement) के निष्पादन के बाद आवश्यक सीमा तक इस समझौते में उचित संशोधन करेंगे।

19. मध्यस्थता

*19.1 विवाद*

इस समझौते से उत्पन्न होने वाले, या इसके संबंध में, या इसके उल्लंघन, समाप्ति या अमान्यता से संबंधित सभी विवादों, मतभेदों या दावों (विवाद) को पहले उदाहरण में पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे विवाद के पहले लिखित नोटिस की तारीख से 45 व्यावसायिक दिनों के भीतर यदि विवाद का ऐसा समाधान नहीं हो पाता है इस छवि में दिए गए अंग्रेजी कानूनी पाठ (legal text) का हिंदी अनुवाद नीचे प्रस्तुत है:

एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्षों को, तो ऐसे विवाद को नीचे दिए गए खंड 19.2 या 19.3 के नियमों के अनुसार, जैसा भी लागू हो, मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

19.2 राज्य प्रवर्तकों के बीच परस्पर विवाद

इस समझौते के तहत केवल राज्य प्रवर्तकों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद, जिनका खंड 19.1 में दिए गए आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से समाधान नहीं होता है, उन्हें उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 30.03.1989 के ओ.एम. संख्या 15/9/86-बीपीई (FIN), या भारत सरकार के ऐसे अन्य आदेशों/ज्ञापन, या उसके किसी अन्य सांविधिक निकाय के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के दो या दो से अधिक उपक्रमों या प्राधिकारियों के बीच विवादों के समाधान के लिए समय-समय पर जारी किए गए नियमों के तहत, लोक उद्यम ब्यूरो में मध्यस्थों की स्थायी मशीनरी के पास किसी भी पक्ष द्वारा भेजा जाएगा।

19.3 ऐसे विवाद जहाँ एक पक्ष राज्य प्रवर्तक नहीं है

इस समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले विवाद, जहाँ विवाद का एक पक्ष राज्य प्रवर्तक नहीं है, खंड 19.3 से 19.7 (सम्मिलित रूप से) के अनुसार (भारतीय) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और उसमें संशोधन या उत्तरवर्ती विधान के प्रावधानों के तहत मध्यस्थता द्वारा हल किए जाएंगे। मध्यस्थता का संचालन तीन मध्यस्थों के एक पैनल द्वारा किया जाएगा जिन्हें नीचे वर्णित तरीके से नियुक्त किया जाएगा -

- **(a)** यदि किसी विवाद में सभी राज्य प्रवर्तक एक ही पक्ष में हैं और प्रायोजक (Sponsors) दूसरे पक्ष में हैं, तो राज्य प्रवर्तक संयुक्त रूप से एक मध्यस्थ नियुक्त करेंगे, और प्रायोजक एक मध्यस्थ नियुक्त करेंगे। तीसरा मध्यस्थ क्रमशः राज्य प्रवर्तकों और प्रायोजकों द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए गए दो मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किया जाएगा;
- **(b)** यदि किसी विवाद में राज्य प्रवर्तकों में से एक पक्ष एक तरफ है और अन्य राज्य प्रवर्तक तथा प्रायोजक विवाद के दूसरी तरफ हैं, तो विवाद में प्रत्येक पक्ष उपर्युक्त अनुसार एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा। विवाद में प्रत्येक पक्ष द्वारा नियुक्त किए गए दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे;
- **(c)** अन्य सभी मामलों में, विवाद के दोनों पक्ष एक-एक मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और विवाद के प्रत्येक पक्ष द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए गए दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे।

19.4 भाषा और स्थान

मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में संचालित की जाएगी। मध्यस्थता का स्थान हैदराबाद, भारत होगा।

19.5 बाध्यकारी (

पक्षकार एतद्द्वारा सहमत हैं कि मध्यस्थता का अवार्ड अंतिम और बाध्यकारी होगा और पक्षकार अपील, समीक्षा या किसी भी राज्य अदालत या अन्य न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष उपाय के अपने अधिकार को अपरिवर्तनीय रूप से त्यागते हैं, जहाँ तक ऐसा त्याग वैध रूप से किया जा सकता है। मध्यस्थ लिखित में एक तर्कसंगत और स्पष्ट अवार्ड देगा।

19.6 विविध

मध्यस्थ विवाद के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं को अपनाएंगे, अनावश्यक देरी या खर्च से बचेंगे, ताकि विवाद के समाधान के लिए एक त्वरित और निष्पक्ष साधन प्रदान किया जा सके। जब तक अन्यथा सहमति न हो, मध्यस्थता का अवार्ड किसी भी स्थिति में मध्यस्थता संदर्भ में प्रवेश करने की तिथि से दो वर्ष के भीतर दिया जाएगा। मध्यस्थ एक तर्कसंगत अवार्ड देंगे।

पक्षकारों को सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत से निषेधाज्ञा राहत (injunctive relief) मांगने का अधिकार होगा, मध्यस्थों की नियुक्ति से पहले और बाद में दोनों, किसी भी समय जब तक कि मध्यस्थ अपना अंतिम अवार्ड (फैसला) नहीं दे देते।

प्रत्येक पक्ष नियमों के अनुसार मध्यस्थता के खर्च का भुगतान करेगा और लागतों के लिए अंतिम दायित्व मध्यस्थता अवार्ड के अनुसार होगा। कोई भी मध्यस्थ, किसी भी पक्ष या किसी भी पक्ष के किसी सहयोगी (Affiliate) का वर्तमान या पूर्व कर्मचारी या एजेंट, या सलाहकार या वकील नहीं होगा, और न ही किसी भी तरह से पक्षकारों के प्रवर्तकों, साझेदारों या लाभभोगियों से संबंधित या निकटता से जुड़ा होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

20. प्रतिरूप

यह समझौता पांच (5) प्रतिरूपों (counterparts) में निष्पादित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक पक्ष द्वारा एक रखा जाएगा और इनमें से प्रत्येक मूल रूप का गठन करेगा, लेकिन जब इन सबको एक साथ लिया जाएगा तो यह एक ही समझौता बनेगा।

**साक्ष्य स्वरूप** इसके कि इस समझौते को ऊपर लिखी गई पहली तारीख को निष्पादित किया गया है।

# अनुसूची 1

हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का विवरण

- **नाम** : हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
- **संख्या** : [रिक्त]
- **निगमन की तिथि** : [रिक्त]
- **पंजीकृत कार्यालय** : [रिक्त]
- **प्राधिकृत पूंजी**: प्रत्येक दस (10) रुपये के 5,000,000 इक्विटी शेयर, कुल मिलाकर 50,000,000 रुपये (केवल पचास मिलियन रुपये)।
- **जारी की गई और चुकता शेयर पूंजी (Issued and paid-up share capital)**: प्रत्येक दस (10) रुपये के 50,000 इक्विटी शेयर, कुल मिलाकर 5,00,000 रुपये (केवल पाँच सौ हज़ार रुपये)।
- **निदेशक (Directors)**: [रिक्त]
- **सचिव (Secretary)**: [रिक्त]
- **लेखा संदर्भ तिथि** : [रिक्त]
- **गतिविधियाँ** : शमशाबाद, हैदराबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, संचालन और रखरखाव को बढ़ावा देना और अपने हाथ में लेना (बिल्ड, ओन, एंड ऑपरेट आधार पर), विमानन और गैर-विमानन तथा हवाई अड्डा-केंद्रित व्यापार/गतिविधियों को अंजाम देना, और संबद्ध गतिविधियों/निवेशों और/या संबंधित व्यवसाय में भाग लेना और/या उन्हें अपने हाथ में लेना

# अनुसूची 2ए

पालन विलेख का प्रपत्र - प्रायोजकों या राज्य प्रवर्तकों के किसी सहयोगी (Affiliate) द्वारा शेयर का अभिदान करने, या प्रायोजकों या राज्य प्रवर्तकों द्वारा किसी सहयोगी को शेयरों के हस्तांतरण, या प्रायोजकों या राज्य प्रवर्तकों के किसी सहयोगी द्वारा क्रमशः प्रायोजकों या राज्य प्रवर्तकों के किसी अन्य सहयोगी को शेयरों के हस्तांतरण के मामले में (जैसी भी स्थिति हो)

यह **पालन विलेख** दिनांक ..... को ..... के बीच निष्पादित किया गया है, जो ..... के कानूनों के तहत निगमन की गई एक कंपनी है और जिसका मुख्य कार्यालय ..... ("XYZ") पर है; और [हस्तांतरणकर्ता (Transferor) जिसका सहयोगी शेयरों का अभिदान कर रहा है या प्राप्त कर रहा है और अन्य सभी पक्ष] ("अन्य पक्ष") के बीच।

**चूँकि** प्रायोजकों, राज्य प्रवर्तकों और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ("एचआईएएल") ने एयरपोर्ट के संबंध में एक संयुक्त उद्यम (joint venture) के तहत अपने आपसी अधिकारों और दायित्वों के संबंध में दिनांक ..... को एक शेयरधारक समझौते ("SHA") पर हस्ताक्षर किए हैं और इस उद्देश्य के लिए प्रायोजक और राज्य प्रवर्तक एचआईएएल में शामिल हुए हैं।

**चूँकि** [प्रायोजक / राज्य प्रवर्तक] ने प्रस्ताव दिया है कि इसका सहयोगी XYZ, SHA के खंड 4.4(c)/खंड 4.5/खंड 6.1(d)* के अनुसरण में ..... इक्विटी शेयरों का [अभिदान (subscribe)] [प्राप्त (acquire)]* करेगा और जिसके अनुसरण में XYZ को उपर्युक्त शेयरों के [अभिदान] [हस्तांतरण]* के पूर्वशर्त के रूप में एक पालन विलेख (Deed of Adherence) निष्पादित करना आवश्यक है; और

**चूँकि** इसलिए XYZ उपर्युक्त [अभिदान] [हस्तांतरण]* के बाद ..... शेयर धारण करेगा और SHA की शर्तों का पालन करने की अपनी सहमति दर्ज करना चाहता है;

**अतः अब, यह पालन विलेख साक्षी है कि:**

1. XYZ एतद्द्वारा पुष्टि करता है कि उसे SHA की एक प्रति प्रदान की गई है और वह अन्य पक्षों के साथ एतद्द्वारा वचन देता है कि वह SHA के सभी नियमों और शर्तों से बंधा रहेगा और उनका वैसे ही पालन और क्रियान्वयन करेगा जैसे कि वह इसमें एक पक्ष हो, उस सीमा तक जो [हस्तांतरणकर्ता पक्ष (Transferor Party)] पर एक शेयरधारक के रूप में लागू होती है, और विशेष रूप से XYZ SHA के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने का वचन देता है। XYZ, SHA के तहत अपने सहयोगी निवेशक के माध्यम से सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

2. ऐसी स्थिति में जब XYZ, प्रायोजक / राज्य प्रवर्तक का सहयोगी नहीं रह जाता है, तो वह ऐसी घटना से पहले एचआईएएल में अपने द्वारा धारित सभी शेयरों को संबंधित प्रायोजक / राज्य प्रवर्तक या प्रायोजक / राज्य प्रवर्तक के अन्य सहयोगी (सहयोगियों) को (जैसी भी स्थिति हो) हस्तांतरित कर देगा।
3. यह पालन विलेख भारत के कानूनों के अनुसार शासित और निर्णीत किया जाएगा। इस पालन विलेख के पक्षों के बीच किसी भी विवाद को SHA के खंड 19 के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाएगा।

**साक्ष्य स्वरूप इसके कि** एतद्द्वारा पक्षों ने इस पालन विलेख को निष्पादित किया है:

**XYZ**

द्वारा:

नाम:

पद:

साक्षी:

**वह पक्ष जिसका सहयोगी शेयरों का अभिदान कर रहा है या प्राप्त कर रहा है और अन्य पक्ष**

द्वारा:

नाम:

पद:

साक्षी:

**लागू न होने वाले को हटाएं*

## अनुसूची 2सी

अन्य निवेशकों द्वारा अभिदान या जीएमआर द्वारा अन्य निवेशक को शेयरों के हस्तांतरण के मामले में पालन विलेख का प्रपत्र

यह **पालन विलेख** दिनांक ..... को
..... के बीच निष्पादित किया गया है, जो
..... के कानूनों के तहत निगमन की गई एक कंपनी है और

जिसका मुख्य कार्यालय ..... ("XYZ") पर है; और [प्रायोजक और राज्य प्रवर्तक] ("अन्य पक्ष") के बीच।

**चूँकि** प्रायोजकों, राज्य प्रवर्तकों और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ("एचआईएएल") ने एयरपोर्ट के संबंध में एक संयुक्त उद्यम (joint venture) के तहत अपने आपसी अधिकारों और दायित्वों के संबंध में दिनांक ..... को एक शेयरधारक समझौते ("SHA") पर हस्ताक्षर किए हैं और इस उद्देश्य के लिए प्रायोजक और राज्य प्रवर्तक एचआईएएल में शामिल हुए हैं।

**चूँकि** [जीएमआर] ने प्रस्ताव दिया है कि XYZ, SHA के खंड 4.3 के अनुसरण में और उसके अनुसार ..... शेयरों का अभिदान करेगा या प्राप्त करेगा, जिसके लिए शेयरों के उपर्युक्त अभिदान/हस्तांतरण* की पूर्वशर्त के रूप में XYZ को एक पालन विलेख निष्पादित करना आवश्यक है; और

**चूँकि** इसलिए XYZ उपर्युक्त अभिदान/हस्तांतरण* के बाद ..... शेयर धारण करेगा और SHA की शर्तों का पालन करने की अपनी सहमति दर्ज करना चाहता है;

**अतः अब , यह पालन विलेख साक्षी है कि:**

1. XYZ एतद्द्वारा पुष्टि करता है कि उसे SHA की एक प्रति प्रदान की गई है और वह अन्य पक्षों के साथ एतद्द्वारा वचन देता है कि वह SHA के सभी नियमों और शर्तों से बंधा रहेगा और उनका वैसे ही पालन और क्रियान्वयन करेगा जैसे कि वह इसमें एक पक्ष हो, उस सीमा तक जो निवेशकों पर लागू होती है, और विशेष रूप से XYZ SHA के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सहमत है।
2. यह पालन विलेख भारत के कानूनों के अनुसार शासित और निर्णीत किया जाएगा।
3. SHA के खंड 19 के प्रावधान इस पालन विलेख के पक्षों के बीच किसी भी विवाद को नियंत्रित करेंगे।

**साक्ष्य स्वरूप इसके कि** एतद्द्वारा पक्षों ने इस पालन विलेख को निष्पादित किया है:

**XYZ**

द्वारा:

नाम:

पद:

साक्षी:

**अन्य पक्ष**

द्वारा:

नाम:

पद:

साक्षी:

**लागू न होने वाले को हटाएं*

# अनुसूची 3

उचित बाजार मूल्य निर्धारण तंत्र

1. शेयरों के उचित बाजार मूल्य (Fair Market Value of the Shares) का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक फर्म ("मूल्यांकनकर्ता" या "Valuer") द्वारा, एक इच्छुक विक्रेता और एक इच्छुक खरीदार के बीच लेन-देन के आधार पर और भारतीय जीएएपी के अनुसार निर्धारित शेयरों के मूल्य से है, बशर्ते कि ऐसा मूल्य निर्धारित करने में मूल्यांकनकर्ता:
    - (a) भूमि पट्टा समझौते (Land Lease Agreement) के तहत एचआईएएल को प्रदान की गई भूमि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई मूल्य प्रति से (per se) नहीं देगा या ध्यान में नहीं रखेगा, बशर्ते कि रियायत समझौते (Concession Agreement) के अनुसरण में भूमि पर प्रोजेक्ट विकसित करने के एचआईएएल के अधिकारों से या उसके तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी मूल्य पर विचार किया जा सकता है।
    - (b) एचआईएएल को दी गई राज्य सहायता (State Support) से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े किसी भी मूल्य को बाहर कर देगा।
2. इस समझौते के नियमों के तहत जहाँ आवश्यक हो, शेयरों के उचित बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए किसी संबंधित पक्ष से अनुरोध प्राप्त होने पर, बोर्ड मूल्यांकनकर्ता

का चयन करेगा और मूल्यांकनकर्ता को उपरोक्त पैराग्राफ 1 के अनुसार उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने का निर्देश देगा।

3. एचआईएएल ऐसे निर्धारण के लिए मूल्यांकनकर्ता द्वारा आवश्यक जानकारी, नियुक्ति के पंद्रह (15) दिनों की अवधि के भीतर प्रदान करेगा।
4. मूल्यांकनकर्ता उसके बाद बीस (20) दिनों की अवधि के भीतर उचित बाजार मूल्य निर्धारित करेगा और बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रदान करेगा, जिसकी प्रतियाँ सभी पक्षों को दी जाएंगी।
5. ऐसे निर्धारण के लिए किए गए खर्च, जिसमें मूल्यांकनकर्ता की फीस भी शामिल है, विक्रेता और/या खरीदार द्वारा वहन किए जाएंगे, जैसा कि बोर्ड द्वारा उचित रूप से निर्धारित किया जा सकता है।

## अनुसूची 4
## आरक्षित मामले

1. तरलता प्रबंधन (liquidity management) के उद्देश्यों के लिए रुपये 250,000,000/- (दो सौ पचास मिलियन रुपये) से अधिक की कुल सीमा (उस खाते पर उस समय मौजूद किसी भी देयता के साथ) तक उधार लेना, ऋण लेना या कोई ऋणग्रस्तता करना। बशर्ते कि निम्नलिखित के लिए पूर्वोक्त सहमति की आवश्यकता नहीं होगी -
    - (a) वित्तपोषण समझौतों (Financing Agreements) और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के अनुसार उधार लेना;
    - (b) व्यवसाय के साधारण और सामान्य पाठ्यक्रम में किसी भी गारंटी, क्षतिपूर्ति, निष्पादन बांड देना या किसी भी समान आकस्मिक देयता को उठाना;
    - (c) खंड 5.12 में निर्धारित सीमा के उद्देश्यों के लिए और वहाँ तक उधार लेना।
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल रुपये 100,000,000/- (सौ मिलियन रुपये) की कुल राशि से अधिक वित्तीय प्रभाव वाले एचआईएएल के पर्याप्त उपक्रम या परिसंपत्तियों का निपटान (disposal)।
3. खंड 5.11 में प्रदान किए गए या समझौते में प्रदान किए गए को छोड़कर, एचआईएएल की अधिकृत शेयर पूंजी, पूंजी संरचना और आगे की पूंजी के निर्गमन में कोई भी परिवर्तन।
4. AAI के साथ संचार, नेविगेशन, निगरानी/एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सेवाओं और विमानन सुरक्षा सेवाओं के समझौते (समझौतों) को छोड़कर, और प्रतिस्पर्धी आधार पर व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में दर्ज किए गए समझौतों के अलावा, निवेशकों के सहयोगियों (Affiliates) के साथ दर्ज किए गए प्रोजेक्ट समझौतों का अनुमोदन।

5. विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट और रियायत समझौते (Concession Agreement) में शामिल या उसके अनुसरण में विस्तार के अलावा, एचआईएएल के व्यवसाय को काफी हद तक कम करना या एचआईएएल के व्यवसाय का काफी विस्तार करना।
6. एचआईएएल के शेयरों या प्रतिभूतियों का आईपीओ या लिस्टिंग और उसकी शर्तें।
7. एचआईएएल के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन या मेमोरेंडम और/या आर्टिकल में कोई फेरबदल या एचआईएएल के नाम या पंजीकृत कार्यालय में कोई परिवर्तन।
8. एचआईएएल का कोई भी समापन (winding-up), परिसमापन या विघटन या एचआईएएल द्वारा शेयरों की पुनर्खरीद (buy-back) या एचआईएएल की शेयर पूंजी में कोई कमी।
9. विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट और रियायत समझौते में प्रदान किए गए के अलावा भूमि का कोई अन्य उपयोग।
10. विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट और रियायत समझौते में प्रदान किए गए को छोड़कर, किसी अन्य कंपनी, साझेदारी या व्यवसाय में किसी भी हित को प्राप्त करने या उसका निपटान करने, या संयुक्त उद्यम या रणनीतिक गठबंधन में प्रवेश करने का कोई प्रस्ताव।
11. अधिनियम के तहत प्रदान किए गए को छोड़कर, एचआईएएल द्वारा किसी भी ऋण का अनुदान (नब्बे (90) दिन तक की अवधि के लिए अग्रिम भुगतान, ट्रेड क्रेडिट और प्राप्य खातों (accounts receivable) के अलावा); और
12. इस समझौते के अनुसार होने के अलावा शेयरों का कोई भी हस्तांतरण।

# अनुसूची 5
## अन्य निवेशकों की सूची

1. मैकक्वायर बैंक, ऑस्ट्रेलिया
2. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
3. इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन
4. कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
5. एएमपी, ऑस्ट्रेलिया
6. एफएमओ, नीदरलैंड
7. डीईजी, जर्मनी
8. बीआईओ, बेल्जियम
9. एशियाई विकास बैंक, मनीला
10. यूरोपीय निवेश बैंक
11. न्यू यॉर्क लाइफ
12. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड
13. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड
14. इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
15. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड
16. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
17. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड
18. शिफोल एयरपोर्ट
19. चांगी एयरपोर्ट
20. ब्रिटिश एयरपोर्ट्स अथॉरिटी
21. एयरपोर्ट डी पेरिस
22. फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट
23. अल्टेर्रा पार्टनर्स
24. हॉचटीफ